असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

30 नवम्बर, 2021

सप्तदश विधान सभा — मंगलवार, तिथि 30 नवम्बर, 2021 ई॰
चतुर्थ सत्र — 09 अग्रहायण, 1943 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, नीति आयोग की रिपोर्ट आयी है कि बिहार सबसे पीछे है और सीमांचल की हालत सबसे खराब है । धारा-371 के जरिये से किशनगंज और सीमांचल....

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप ये पोस्टर, अंदर दिखाना उचित नहीं है रखिये, हटा लीजिये पोस्टर इनका ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, बिहार में....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री सत्यदेव राम : अपराधियों के द्वारा लगातार हत्यायें हो रही हैं महोदय..

श्री महबूब आलम : महोदय, रामसेवक राम की हत्या हुई है, महोदय...

अध्यक्ष : कोई भी पोस्टर प्रदर्शित नहीं करेंगे । हटा लीजिये उनका पोस्टर ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, पूरे बिहार में अपराधियों के द्वारा ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री भाई वीरेन्द्र ।

श्री सत्यदेव राम : बच्चों की हत्या हो रही है महोदय, सरकार इसका संज्ञान लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये । सदन की गरिमा बनाये रखें, पोस्टर अपने से दे दें मार्शल को, दे दीजिये ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, लगातार लड़कों की हत्या हो रही है ।

अध्यक्ष : समय पर उठाइयेगा, बैठ जाइये । श्री भाई वीरेन्द्र जी ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, मेरा ...

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-1 (श्री भाई वीरेन्द्र, क्षेत्र संख्या-187, मनेर)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश पत्रांक-7/नि01-08/2011-1141, दिनांक-22.10.2021 द्वारा शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के 8386 पद सृजित किए गए हैं । शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति पंचायतीराज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत किया जाना है । वर्तमान में प्रखंड नियोजन इकाइयों में पंचायत समिति के गठन की प्रक्रिया पूर्ण होते ही योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण एवं निर्धारित अर्हता धारित अभ्यर्थियों के नियोजन की कार्रवाई पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत गठित नियोजन समिति के द्वारा किया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग । माननीय मंत्री जी । उत्तर संलग्न है, आप पूरक पूछिये ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, सरकार अपने उत्तर में दर्शाया है कि प्रखंड स्तरों की चुनाव हो रही है और सरकार गठन के बाद ही इस नियोजन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जायेगा तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ सरकार से कि प्रखंड नियोजन इकाइयों में पंचायत समिति का गठन 14 दिसम्बर, 2021 के बाद पूर्ण हो जायेगा तो सरकार समय-सीमा निर्धारित करे, बताये कि कब तक करेगी ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने तो स्पष्ट कहा है और हम आसन के माध्यम से सदन को यह भी बताना चाहते हैं कि सरकार ने तो इस विषय में इतनी पारदर्शिता से काम किया है कि नियोजन के चलते क्रम में भी शिक्षा विभाग और सरकार की मंशा थी कि हम नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखें । इसलिए हमने चुनाव आयोग से इजाजत भी मांगी थी क्योंकि हमने कहा था कि जो आवेदन ऑनलाइन आने हैं, उनका जो मेरिट लिस्ट बनना है, वे सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है । इससे अगर बीच में भी होता है तो सरकार या विभाग इसकी पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करा सकती है लेकिन अध्यक्ष महोदय, चूंकि नियोजन प्राधिकार हीं वही लोग होते हैं जिनका चुनाव हो रहा है इसलिए चुनाव आयोग ने कहा कि ये करना उचित नहीं होगा और निश्चित रूप से जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि हमलोगों ने तो एक टेंटेटिव डेट भी उस हिसाब से जारी कर दिया है और हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी प्रखंड स्तर के जो प्रमुख या जिला स्तर पर जो जिला परिषद् के अध्यक्ष होते हैं, उनके निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी जो जिस स्तर के नियोजन की कार्रवाई है हम उसको तत्काल पूरी करेंगे ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, समय-सीमा निर्धारित करे कि अगर हो जाता है 10 दिन के अंदर में तो आप कितने दिनों के अंदर में उसको करेंगे ।

अध्यक्ष : स्पष्ट तो बता ही दिये ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, नहीं स्पष्ट कहां....

अध्यक्ष : श्री समीर कुमार महासेठ । चलिये, स्पष्ट बता दिये कि चुनाव के बाद शुरू होगा ।

श्री भाई वीरेन्द्र : ऐसे चलाइयेगा तो एक्सिडेंट कर जायेगा न । अभी तो मेरा पूरा नहीं हुआ, आप दूसरे को बुला रहे हैं ।

अध्यक्ष : आपके पूरक का जवाब उन्होंने दे दिया ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, हम सबके आप कस्टोडियन हैं, आपको सबका ख्याल रखना होगा न ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । आसन कह रहा है बैठ जाइये । चलिये, श्री समीर कुमार महासेठ ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, मेरा एक प्रश्न और है, इसमें सरकार से मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से विज्ञापन में शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियोजन के लिए योग्यता परीक्षा 2019 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं दिव्यांगों को उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम निर्धारित अंक में पांच प्रतिशत की छूट दी गई है लेकिन इससे वंचित रखा गया है पिछड़ा और अति पिछड़ा लोगों को, इसलिए क्या औचित्य है सरकार को, क्या पिछड़ा और अति पिछड़ा को पांच अंक की छूट देना चाहती है सरकार ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये शारीरिक अनुदेशक-सह-शिक्षक की जो नियुक्ति की बात है, सरकार ने, अभी माननीय सदस्य ने और सारे सदस्यों ने देखा होगा कि हमलोगों ने लगभग 8500 पद स्वीकृत किये हैं और जैसा कि हमने कहा कि जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होगी एक महीने के अंदर पद विज्ञापित कर और दूसरी बात माननीय सदस्य को और सदन को महोदय हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि आरक्षण के जो नियम हैं वह नियुक्ति प्राधिकार जो है उनको लागू करना है और सरकार उसकी सख्त मॉनिटरिंग करती है तो जो भी आरक्षण कोटि में, जिस कोटि में जितने पद जाने होंगे, जिस भी कोटि में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, जिस कोटि में जितने जाने होंगे, वे उसमें निश्चित जायेंगे, इसमें एक पद का भी इधर से उधर नहीं हो सकता है महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : नहीं महोदय, पांच अंक की छूट देने की बात मैंने कहा ।

अध्यक्ष : आपका, माननीय सदस्य ये प्रश्न से जुड़ा हुआ विषय नहीं है फिर भी माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : जुड़ा ही हुआ है, आप पढ़िये तो बढ़िया से, इसको पढ़िये बढ़िया से ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये, आप । श्री समीर कुमार महासेठ । बैठ जाइये ।

श्री भाई वीरेन्द्र : ठीक है, हमारा उत्तर नहीं दिलवाइये आप ।

अध्यक्ष : बैठिये । श्री समीर कुमार महासेठ ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, हमारा अधिकार बनता है बात रखने का आपके सामने, आप कस्टोडियन हैं...

अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जायं । दूसरे का भी अधिकार बनता है.....

(व्यवधान)

दूसरे माननीय सदस्यों का भी अधिकार बनता है । श्री समीर कुमार महासेठ ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-2 (श्री समीर कुमार महासेठ, क्षेत्र संख्या-36, मधुबनी)

अध्यक्ष: माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पोर्टल...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप अपनी मर्यादा को न भूलें । अगर ऐसे करेंगे तो मुझे विवश हो कर, फिर नियम के हिसाब से चलने के लिए बाध्य हो जायेंगे । आप वरिष्ठ, नहीं आप वरिष्ठ लोग । माननीय मंत्री जी, एक मिनट ।

(व्यवधान)

आप, माननीय सदस्यगण, अगर अपनी मर्यादा की सीमा लाघेंगे तो सदन की सहानुभूति किसी भी रूप में आपके साथ नहीं रहेगी और यह कोई जरूरी नहीं है कि हम वरिष्ठ हैं तो हमें पूर्ण ज्ञान है, हमारे नये सदस्य बेहतर वातावरण आपसे सीखते हैं और उसका पालन करना सबकी जिम्मेवारी है और अगर इसमें आप सहयोग नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जायेगा, आप कुछ भी बोल दें, ये नहीं, आप दो-तीन शब्द.....

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, मैं कोई बात नहीं बोला हूँ, मैंने यह कहा कि अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : अब आपको आभास नहीं है कि बैठे-बैठे या खड़े हो कर क्या बोल रहे हैं ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, सवालों के जवाब मिला लीजिये, मैंने.....

अध्यक्ष : आपके प्रश्न का दो पूरक, आप बैठ जाइये, आप...

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, पांच प्रतिशत जो छूट दिया गया है...

अध्यक्ष : उस प्रश्न का जवाब उन्होंने दिया...

श्री भाई वीरेन्द्र : पिछडा़, अति पिछड़ा का ...

अध्यक्ष : वे सारे विषय हैं, प्रश्न के लिए तो मैं एक-एक सवाल पर बारह-बारह पूरक का हम अवसर दे रहे हैं ।

श्री भाई वीरेन्द्र : इसलिए अध्यक्ष महोदय मैंने कहा कि हमारे सवाल का जवाब करवा दीजिये ।

अध्यक्ष : ठीक है, थोड़ा-सा संयम रखिये ।

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह : महोदय, पद के दुरूपयोग का आरोप लगाये हैं, वहां ज्यादा अपडेट हो रहा है। आपका अभी भी पेंडिंग है, बहुत चीज पेंडिंग है आपका ।

अध्यक्ष : नहीं, ये शब्द, एक बार और चेतावनी दिये हैं, ये दूसरी बार है, तीसरी बार....

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह : तीसरी बार सदस्यता जायेगी ।

अध्यक्ष : तीसरी बार स्थिति उत्पन्न न हो ।

(व्यवधान)

और मूल प्रश्न तो नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ किया जाय । देखिये, मूल प्रश्न नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ किये जाने के संबंध में था, फिर भी आपने पूछा, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, सकारात्मक रूप से सदन चल रहा है, कई माननीय सदस्यों को, आज देखिये कितनी खुशी की बात है, अब...

(व्यवधान)

श्री महबूब आलम : महोदय, सदस्यता जायेगी या हम पर क्या कार्रवाई होगी, ये बोलने वाले कौन हैं....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : चलिये । माननीय मंत्री जी, समाज कल्याण विभाग ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है...

अध्यक्ष : श्री समीर कुमार महासेठ जी के प्रश्न का जवाब है, सुन लीजिये ।

श्री महबूब आलम : महोदय, सदन को प्रभावित....

श्री मदन सहनी, मंत्री : महोदय, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग....

अध्यक्ष : सदन किसी से प्रभावित नहीं होता है । बैठ जाइये, श्री महबूब साहब ।

(व्यवधान)

अब सुनिये, सुन लीजिये ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पोर्टल बाल स्वराज पर अप्रील, 2020 से 05.06.2021 तक कुल 308 ऐसे बच्चों का डाटा दर्ज किया गया है जिनके माता अथवा पिता किसी एक की मृत्यु या माता-पिता दोनों की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है जिसमें से 54 बच्चे माता-पिता दोनों को ही खोकर अनाथ हो गए हैं ।

क्रमशः

टर्न–2/संगीता/30.11.2021

...क्रमशः...

2. उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में कोरोना महामारी के कारण अनाथ एवं बेसहारा...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । बैठ जाइये ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : जन्म से 18 वर्ष आयु समूह के बच्चे, जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु, जिसमें कम से कम किसी एक की मृत्यु कोरोना से हो गई हो, को 18 वर्ष की आयु तक पालन–पोषण, आवासन एवं शिक्षा के लिए अनुदान के माध्यम से...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप शांति से बैठिए, आप सदन को शांति से, गंभीरता से लीजिए । आपकी हल्की बातों से सदन हल्का न हो, ये ध्यान रखिए ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : 1500/– प्रति माह बाल सहायता योजना अंतर्गत देय है । अब तक कुल 54 बच्चे योजना से आच्छादित किए गए हैं । सभी योग्य लाभुकों को माह अक्टूबर, 2021 तक भुगतान किया जा चुका है । इस योजना का लाभ लेने हेतु कोई भी पात्र लाभुक के पालक परिवार का मुख्य व्यक्ति या गैर सरकारी संस्थान या विधिक अभिभावक विहित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र भरकर आवश्यक कागजातों के साथ संबंधित क्षेत्र के आंगनबाड़ी सेविका को उपलब्ध करा सकते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, चूंकि सरकार के उत्तर से हम संतुष्ट नही हैं लेकिन सरकार के इस उत्तर को हम चुनौती देते हैं साथ ही पूरक प्रश्न पूछना चाहेंगे । महोदय, 54 बच्चों को प्रतिमाह बाल सहायता देने की जो जानकारी दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है । बाल सहायता दी जा रही है तो सरकार उन बच्चों का नाम, पता सदन को बतावें । दूसरा, अगर आप कहें तो हम पढ़ देते हैं दूसरा, महोदय सरकार ने 308 बच्चों का डाटा बताया । यदि सरकार की ही बात को सच मान लें तो 54 बच्चों को अभी तक अनुदान देने का क्या औचित्य है ? जब सरकार कह रही है तो केवल 54 बच्चों को ही दिया गया तथा शेष 254 बच्चे किस हाल में है, कहां हैं इसकी जानकारी अगर है तो सदन को बतावें ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी ।

श्री समीर कुमार महासेठ : एक और पूरक है सर । तीसरा, महोदय सरकार का जो डाटा 05 जून, 2021 तक का है ये जो मंत्री जी ने बताया इसके बाद भी बच्चे कोविड से कुछ अनाथ हुए हैं । क्या सरकार राज्य में एक व्यापक सर्वे कराकर बच्चों को चिन्हित कर अनुदान देने पर विचार रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य जी की चुनौती को स्वीकार करता हूं। 54 बच्चे जो अनाथ हुए हैं उनको हमलोगों ने राशि अक्टूबर माह तक का उपलब्ध करा दिया है और शेष अगर 308 में से इनको इस बात की जानकारी है, इसमें या तो किसी की माता की मृत्यु हुई है या किसी के पिता की मृत्यु हुई है, दोनों की मृत्यु पर उनमें से किसी एक की मृत्यु कोविड से हुई होगी तो हमलोग उनको अनाथ की श्रेणी में मानेंगे और उनको हमलोग बाल सहायता योजना के अंतर्गत जो डेढ़ हजार रुपया का प्रतिमाह देना है, जीरो से अठारह वर्ष की आयु तक वह हमलोग देंगे । 54 ऐसे बच्चे मिले हैं इसके अलावा भी अगर सदन में से किन्हीं को भी ऐसे बच्चों की जानकारी मिलेगी तो हमलोग जरूर उनको इस योजना का लाभ देंगे और 308 जो सूची में दर्ज है उसमें से या तो किसी की माता की मृत्यु हुई है या पिता की, दोनों की मृत्यु नहीं हुई है इसलिए हमलोग उनको अनाथ की श्रेणी में नहीं पाते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री अली अशरफ सिद्दिकी ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-3 (श्री अली अशरफ सिद्दिकी, क्षेत्र सं0 -158 नाथनगर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2. उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है । इस संबंध में अवगत कराना है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या- सा0का0नि0-594 (अ), दिनांक- 26.08.2021 द्वारा एक नया BH-Series वाहन निबंधन के लिए शुरु किया गया है, जो पूरे देश में दिनांक- 15.09.2021 से लागू है।

निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदकों, जिनका कम से कम चार राज्यों में कार्यालय अथवा वैसे सरकारी कर्मी, जिनका स्थानांतरण पूरे देश में कहीं भी हो सकता है, उन्हीं आवेदको को BH-Series की सुविधा दी गयी है ।

बिहार राज्य में भी अधिसूचना संख्या- 7443, दिनांक- 25.11.2021 द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुरुप ही लागू किया गया है, जो दिनांक- 25.11.2021 से पूरे राज्य में प्रभावी है ।

3. उपर्युक्त खण्डों में उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री अली अशरफ सिद्दिकी : महोदय, सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने BH-Series की सुविधा को राज्य में लागू कर दी है । मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, सरकार इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित करे कि BH-Series को सभी जिलों में सभी को सहजता से मिले ।

अध्यक्ष : चलिए, ठीक है धन्यवाद । श्री ललित कुमार यादव ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–4 (श्री ललित कुमार यादव, क्षेत्र सं0 –82, दरभंगा ग्रामीण)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : कंडिका 1, 2 एवं 3 विश्वविद्यालयों में पुस्तक क्रय में अनियमितता संबंधी प्रकाशित खबर एवं प्रस्तुत प्रश्न के आलोक में विभागीय पत्रांक 2597 दिनांक– 29.11.2021 द्वारा राज्यपाल सचिवालय को आवश्यक जांच कराने का अनुरोध किय गया है । साथ ही विभागीय पत्रांक 2603 दिनांक– 29.11.2021 द्वारा सभी विश्वविद्यालयों का Performance Audit करने हेतु महालेखाकार, बिहार को अनुरोध किया गया है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब है...

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री ललित कुमार यादव : हां, वही उत्तर जो माननीय मंत्री जी का उत्तर है । महोदय, हमलोग यह जानना चाहते हैं और सरकार से पूछना चाहते हैं कि यह सरकार के संज्ञान में पहले से है कि विश्वविद्यालय में गड़बड़ी हो रही है तो अभी 29.11.2021 को ये महालेखाकार को अनुरोध किए हैं ऑडिट कराने का और राज्यपाल सचिवालय को अनुरोध किए हैं इसकी आवश्यक जांच का । महोदय, यह आज से नहीं बहुत लंबे समय से यह घोटाला का काम यूनिवर्सिटी में चल रहा है । सरकार ने अपने उत्तर में भी स्वीकार किया है तो जिस तरह से मगध विश्वविद्यालय में यह एस0आई0टी0 से जांच कराए हैं उसी तरह से बिहार के पूरे विश्वविद्यालयों में सदन की कमेटी से या विशेष एस0आई0टी0 की कमिटी का गठन करने ये जांच कराना चाहते हैं कि नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, एक तो माननीय सदस्य ने जो कहा कि सरकार ने घोटाला स्वीकार किया है, ऐसा तो मेरे उत्तर में कहीं नहीं है । हमने तो यह कहा है चूंकि आपने प्रश्न ही पूछा है एक अखबार मीडिया रिपोर्टिंग के आधार पर तो हमने यह कहा है कि मीडिया की जो रिपोर्ट आई है, जिन चीजों का उसमें जिक्र है उसको

सरकार ने दोनों जगह से पूरी पारदर्शिता से चूंकि विश्वविद्यालयों के मामलों में कुलाधिपति ही उसके नियंत्रक होते हैं इसलिए हमने उनको भी कहा है जांच कराने के लिए और इन सबसे अलग जो बात आप कह रहे थे कि अगर पहले की भी बात होगी तो हमलोगों ने सी0ए0जी0 को महालेखाकार कार्यालय को भी अलग से लिखा है हमारे अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग ने लिखा है कि आप पूरे पिछले दिनों के भी जो सरकार के द्वारा ग्रांट दिए गए हैं चाहे लाइब्रेरी के मामले में हो या दूसरे मामले में हो, सारे लेखा की पूरी गहराई से जांच करके रिपोर्ट दीजिए और महोदय, सरकार आसन के माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहती है कि जांच में जो भी दोषी पाए जायेंगे, उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : श्री अजीत शर्मा ।

श्री ललित कुमार यादव : नहीं महोदय, क्या उत्तर हुआ, क्या ये उत्तर दे रहे हैं ? हम कह रहे हैं कि सदन की कमिटी से या एस0आई0टी0 कमिटी से आप किसी विशेष कमिटी से जांच कराना चाहते हैं कि नहीं । ए0जी0 ऑडिट की बात करती है तो यह तो सतत प्रक्रिया है महोदय । इसमें इनका क्या योगदान है ए0जी0 का तो काम ही है ऑडिट करना । ऑडिट हुआ है एक बार नहीं अनेक बार हुआ है अनियमितता भी आई है हम कह रहे हैं कि सदन की विश्वविद्यालय में जो गड़बड़ी हुई है, आपने भी स्वीकर किया है तो आप इसकी जांच सदन की कमिटी से कराना चाहते हैं पूरे विश्वविद्यालय का या नहीं । आपने मगध विश्वविद्यालय का एक यूनिवर्सिटी का जांच कराया, क्यों कराया, आप पूरे विश्वविद्यालय का जांच कराना चाहते हैं या नहीं यह एक प्रश्न है महोदय । ये ए0जी0 का ऑडिट बताते हैं । ए0जी0 का तो सतत प्रक्रिया है ऑडिट कराना । ए0जी0 का तो ऑडिट होता रहता है । ये आप क्या आप अपनी वाहवाही सरकार का जवाब दे रहे हैं । महोदय, यह सरकार जांच कराना चाहती है या नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री ललित कुमार यादव : सदन की कमिटी से ...

अध्यक्ष : बैठ जाइये । अब आप बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने न तो कभी किसी योगदान की चर्चा की न कभी वाहवाही मांगा । हमने तो मांगा नहीं वाहवाही, हमने तो अपना, सरकार ने अपना दायित्व निभाया है कि अगर मीडिया ने किसी गड़बड़ी घपले का समाचार प्रकाशित किया है तो हमने 2-2 जगह से उसकी जांच कराने का फैसला लिया है और हम पूरी जिम्मेदारी से आश्वस्त करना चाहते हैं कि जांच में जो भी दोषी पाए जायेंगे कार्रवाई की जाएगी । अगर जांच संतोषजनक नहीं होगा फिर आगे की कार्रवाई होगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ये तो कह ही रहे हैं कि जांच करायेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : विशेष कमिटी से जांच कराना चाहते हैं कहां बता रहे हैं । ये तो बता रहे हैं कि ए0जी0 ऑडिट करेगा तो ए0जी0 ऑडिट को हमलोग अनुरोध किए हैं तो ए0जी0 ऑडिट की तो सतत प्रक्रिया है...

अध्यक्ष : इन्होंने कहा कि जांच करायेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : किससे जांच करायेंगे, किससे जांच करायेंगे महोदय । प्रश्न का इस तरह से जवाब...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री ललित कुमार यादव : सदन में सरकार का, यह गड़बड़ी होगी...

अध्यक्ष : बैठ जाइये । माननीय सदस्य बैठ जाइये ।

श्री ललित कुमार यादव : ये गड़बड़ी होगी और सरकार जांच नहीं करायेगी...

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, सुन लीजिए । सुन लीजिए ।

श्री ललित कुमार यादव : जनता के पैसे को ये इस तरह से बर्बाद...

अध्यक्ष : सुन लीजिए, सुन लीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हम समझते हैं पूरा सदन इस बात से अवगत है कि जो भारत सरकार का महालेखाकार, महानियंत्रक परीक्षक का कार्यालय है वह जब जांच करता है तो उसी ने इस देश में एक से एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है हमने उस संस्था से इस मामले की जांच कराने का फैसला लिया है...

अध्यक्ष : चलिए, ठीक है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : इससे ज्यादा पारदर्शिता क्या हो सकती है ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, पूछा जा रहा है कि स्पेसिफाई कर दें कि कौन जांच करेगा, जहां तक महालेखाकार का है तो नॉरमली प्रोसेस में रहता है, ऑडिट होता रहता है और उसी ऑडिट में यह भी निकला है कि 2 लाख करोड़ रुपया बिहार का एक्सपेंडिचर कहां खर्च हुआ, बिहार सरकार ने अब तक नहीं बताया है, यह तो महाघोटाला है । उसी को मानते हैं तो कम से कम उसी को आश्वस्त कर दीजिए महालेखाकार का जो सी0ए0जी0 रिपोर्ट में आया है । महोदय, 2 लाख करोड़ का हिसाब किताब नहीं है और माननीय मंत्री जी से साफ तौर पर पूछा जा रहा है कि स्पेसिफाई कर दें या कोई यहां की कमिटी से या कौन सी एजेंसी से या कौन कौन से विश्वविद्यालय का ये जांच कराना चाहते हैं मांग तो सभी विश्वविद्यालय की है ।

अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाइये ।

टर्न–3/सुरज/30.11.2021

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने बिल्कुल सही कहा और उनकी बात से सरकार ने जो निर्णय लिया है उसकी और पुष्टि होती है जो उन्होंने उद्धरण दिया कि महालेखाकार कार्यालय ने बिहार सरकार में जो 2 लाख करोड़ के हिसाब में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है अगर है, जिसकी चर्चा उन्होंने की है तो यह तो स्पष्ट है कि वह संस्था बिहार सरकार के नियंत्रण में नहीं है, बिहार सरकार के कमियों को भी उजागर करती है तो ऐसी संस्था पर फिर उनके नहीं भरोसा करने का क्या प्रश्न है । हमारे नियंत्रण में तो नहीं है वह ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, महालेखाकार तो ऑडिट...

अध्यक्ष : अब समय...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : ऑडिट महोदय करना काम है और 2 लाख करोड़ का जहां तक हिसाब कर रहे हैं अब तक उस रिपोर्ट पर इन्होंने क्या कार्रवाई की है, 2 लाख करोड़ वाले पर ।

अध्यक्ष : अब अल्पसूचित प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, एक सवाल है..

अध्यक्ष : अब समाप्त हुआ, बहुत टाइम आगे बढ़ गया ।

श्री आलोक कुमार मेहता : बहुत इम्पोर्टेंट है..

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जाएंगे, अब समय आगे बढ़ गया है ।

तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या–1(श्री मनोहर प्रसाद सिंह, क्षेत्र सं0–67, मनिहारी (अ0ज0जा0)

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, उत्तर तो दिया ही हुआ है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये । माननीय सदस्य पूरक पूछिये ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : उत्तर मेरे पास नहीं है ।

अध्यक्ष : उत्तर एक बार पढ़ दीजिये । ऐसे उत्तर आया हुआ है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत मदरसा की प्रबंध समिति द्वारा मदरसा में प्राचार्य के रिक्त पद पर फाजिल सहायक शिक्षक श्री खैरूल अनाम को प्रोन्नति दी गई, सहायक शिक्षक श्री खैरूल अनाम की नियुक्ति तिथि–01.10.2011 है, और इनकी नियुक्ति तिथि–04.07.1980 है ।

वरीय सहायक शिक्षक श्री मो0 अनवार आलम के कार्यरत रहते हुए कनीय सहायक शिक्षक श्री खैरूल अनाम को प्रोन्नति दी गई, जो नियमानुसार नहीं है ।

हाफिज से फाजिल पद पर प्रोन्नति कर अनुमोदन की मांग की गई है । हाफिज से फाजिल पद पर प्रोन्नति का सीधे प्रावधान नहीं है ।

उक्त मदरसा की प्रबंध समिति द्वारा की गई सभी प्रोन्नति नियमानुकूल नहीं रहने के कारण बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा प्रोन्नति से संबंधित उस दावे को वापस कर दिया गया है, अस्वीकृत करते हुए और कहा गया है कि नियमानुसार प्रस्ताव दें । नियमानुसार प्रस्ताव आयेगा तो वोट द्वारा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : महोदय, कब भेजा गया है क्योंकि वहां तो मिला ही नहीं है लोगों को ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह करीब 10–15 दिन पहले भेजा गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : महोदय, 10 दिन पहले क्यों भेजा गया । जुलाई, 2020 में प्रस्ताव आया है तो इतनी देर क्यों हुई ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इसलिए भेजा गया है कि हमने अपने उत्तर में बताया है कि एक तो जिनको प्रधानाचार्य जो मदरसा का बनाया गया उनकी प्रोन्नति नियमानुकूल नहीं थी, उनसे वरीय शिक्षक उपलब्ध थे लेकिन उनके दावे को नजरअंदाज करते हुए कनीय शिक्षक को हेडमास्टर बना दिया गया इसलिए उनके दावे को खारिज किया गया । यह सब प्रक्रिया और जांच में प्रतिवेदन मंगाने में समय लगता है और दूसरी बात कि सीधे हाफिज से फाजिल में प्रोन्नति दी गई दूसरे शिक्षक को, जबकि बीच में मौलवी और दूसरे पद भी सोपान हैं, सीढ़ी है उससे होते हुए ही वहां जा सकते हैं इसलिए नहीं मांगा गया और इन सब चीजों की गहराई से जांच में वक्त लगता है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा था कि श्री नैयर आजम को हाफिज से फाजिल के ओहदे पर प्रोन्नति देने का प्रस्ताव वहां की मैनेजिंग कमेटी ने भेजा है तो हाफिज चूंकि वह सहायक शिक्षक हैं तो सहायक शिक्षक को प्रोन्नति दिया जा सकता है हाफिज को मौलवी के ओहदे पर या आलिम के ओहदे पर दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, प्रोन्नति तो दिया ही जा सकता है लेकिन हाफिज से फाजिल के बीच में 2 सोपान सीढ़ी, स्टेप्स और भी हैं वह है मौलवी के और आलिम

के । आप हाफिज से मौलवी बनेंगे, मौलवी से आलिम बनेंगे तब आप फाजिल बनेंगे और ये सीधे हाफिज से फाजिल में चले जा रहे हैं ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय...

अध्यक्ष : अब हो गया, इतना स्पष्ट जवाब आया है ।

श्री अखतरूल ईमान : नहीं महोदय, एक पूरक है महोदय । सवाल यह पैदा होता है कि हाफिज से अगर फाजिल पर प्रोन्नति दी जा रही है तो उसके एक्सपीरियंस की वजह से नहीं जो मौलवी है उसने अपनी डिग्री नहीं बढ़ाई महोदय । जो आलिम है...

अध्यक्ष : विशेष समझना है तो अलग से समझ लीजियेगा ।

श्री अखतरूल ईमान : एक मिनट महोदय, एक मिनट । यह पूरे राज्य की समस्या है महोदय मैं कह रहा हूं कि हाफिज को जो परमिशन होता है तो वह उनके कार्यकाल की वजह से नहीं उनकी डिग्री की वजह से तो मामला यह है कि मौलवी जो है उसने आलिम किया नहीं...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आ सके...

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, टेक्निकल मामला है, जो आलिम है उसने अपनी डिग्री बढ़ाई नहीं और हाफिज ने मदरसा बोर्ड का परमिशन ले करके फाजिल किया, एम0ए0 किया तो उसको परमिशन देने में क्या दिक्कत है । आप तो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है, आपके सुझाव को वह ग्रहण कर लिये । माननीय सदस्य श्री अजित कुमार सिंह ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अखतरूल ईमान जी अभी तो हमने सिर्फ नियम का हवाला दिया था बाकी अगर आप इतनी बात कह रहे हैं तो आप सारी सूचना दीजियेगा अलग से भी हम गुंजाइश देखेंगे तो सीधे बात न कहना चाहिए ।

अध्यक्ष : श्री अजीत कुमार सिंह..

श्री अखतरूल ईमान : आपने हाफिज को परमिशन नहीं देने का फैसला किया है...

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये । माननीय सदस्य बैठ जाएं दूसरे की भी चिंता करें ।

माननीय सदस्यगण, यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज भी शत-प्रतिशत प्रश्नों का जवाब आया है हंड्रेड परसेंट । इसलिए ज्यादा से ज्यादा सदस्य भागीदारी कर सकें सदन में, थोड़ा ये ध्यान में हम सबको रखना है और सहयोग करना है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-2(श्री अजीत कुमार सिंह, क्षेत्र सं0-201, डुमराँव)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : उत्तर स्वीकारात्मक है ।

नया निबंधन कार्यालय खोले जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड के समीक्षोपरान्त डुमराँव अनुमण्डल में नया निबंधन कार्यालय खोले जाने पर निर्णय लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री अजीत कुमार सिंह : पूरक ही पूछ रहा हूं महोदय । महोदय, मेरे सवाल का जो जवाब आया है उसमें लिखा हुआ है कि नया निबंधन कार्यालय खोले जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड के समीक्षोपरान्त डुमराँव अनुमण्डल में नया निबंधन कार्यालय खोले जाने का निर्णय लिया जायेगा । पहला मेरा पूरक तो यह है कि निर्धारित मापदंड क्या है मंत्री महोदय यह बताएं ?

दूसरा, सुन लीजिये एक और पूरक है एक ही बार में बोल दीजियेगा । पहला तो पूरक यह है कि निर्धारित मापदंड क्या है, दूसरा पूरक यह है महोदय कि पूरे बिहार में 109 अनुमंडल हैं और रजिस्ट्री ऑफिस मतलब निबंधन कार्यालय की संख्या 124 है । जहां तक मैं समझता हूं कि बक्सर जिला में 11 प्रखण्ड है जिसमें डूमराँव अनुमंडल के अंतर्गत 7 प्रखण्ड आते हैं लेकिन बक्सर जिला में निबंधन कार्यालय है और डूमराँव अनुमंडल जिसके अंतर्गत 7 प्रखण्ड आते हैं वहां पर निबंधन कार्यालय अभी तक नहीं है तो पूरक सवाल यह है सवाल सुन लीजिये, सवाल यह है कि जब सवाल हमने पूछा तो ऐसा तो नहीं है कि हम कोई आर0टी0आई0 का जवाब मांग रहे हैं । यह विधान सभा है और यहां तो पूरी तैयारी करके आनी चाहिए इसलिए मापदंड बताएं और यह बताएं कि कब तक खोलेंगे ? कब तक, यह नहीं कि किया जायेगा...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

टर्न-4/राहुल/30.11.2021

श्री सुनील कुमार, मंत्री : इसमें तीन मापदंड होते हैं । पहला उसमें आठ हजार दस्तावेजों की संख्या होनी चाहिए, दूसरा राजस्व संग्रह कम से कम चार करोड़ होना चाहिए और तीसरा अनुमंडल मुख्यालय की वहां से दूरी 15 किलोमीटर की होनी चाहिए तो आपने जो अपना प्रश्न किया और जो सुझाव दिया है उसमें करीब-करीब तीनों अहर्ताओं को यह जगह पूरा करती है तो इसलिए हमने कहा है चूंकि अभी विभाग की सारी जो एनर्जी है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं राजस्व संग्रह में क्योंकि राजस्व संग्रह की कमी है जिससे सरकारें चलती हैं तो इस पर हम लोग जरूर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे लेकिन पिछले एक साल में कोविड की वजह से हम लोगों ने कहीं भी इस तरह का निर्णय नहीं लिया है कि हम लोग नए ऑफिस खोलेंगे लेकिन अहर्ता पूरी की जा रही है और हम लोग जरूर सहानुभूतिपूर्वक अगले वित्तीय वर्ष तक विचार करेंगे । इस

तरह के और भी प्रस्ताव हमें माननीय सदस्यों से मिले हैं जिन पर हम आवश्यकतानुसार कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य सकारात्मक जवाब है, आपका जवाब...

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, एक पूरक है मेरा । पूरक यह है...

अध्यक्ष : अब इसके बाद क्या पूरक है ?

श्री अजीत कुमार सिंह : पूरक है महोदय । महोदय, सुन लिया जाय, पूरक यह है कि अगर डुमराँव अनुमंडल इनकी तीनों अहर्ताओं को पूरा करता है, संग्रह में कोई कमी नहीं है इसलिए कि 11 प्रखंड जो बक्सर जिले में हैं उसमें 7 प्रखंड डुमराँव अनुमंडल में भी हैं...

अध्यक्ष : मंत्री जी ने सकारात्मक जवाब दिया है, अब बैठ जाइये...

श्री अजीत कुमार सिंह : नहीं, नहीं सकारात्मक जवाब नहीं है...

अध्यक्ष : चलिये बैठ जाइये । श्री छोटे लाल राय ।

श्री अजीत कुमार सिंह : एक पूरक बाकी है महोदय...

अध्यक्ष : बैठ जाइए । श्री छोटे लाल राय ।

तारांकित प्रश्न संख्या-3 (श्री छोटे लाल राय, क्षेत्र संख्या-121, परसा)

श्री छोटे लाल राय : पूछता हूं ।

श्री अजीत कुमार सिंह : मुझे पूरक पूछने का अधिकार है...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, एक पूरक मेरा अभी बाकी है...

अध्यक्ष : जवाब सकारात्मक आ गया प्रश्न का उसके बाद कोई पूरक नहीं है । बैठिये ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, एक पूरक बाकी है मुझे पूरक पूछने का अधिकार दिया जाय...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि उच्च विद्यालय, खानपुर में कुल 9 कमरे हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, बैठ जाइये । चलिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: जिसमें 3 पक्का एवं 6 खपरैल का है । इस विद्यालय में खपरैल भवन के कमरे में मरम्मती का अभाव है । इसे विद्यालय विकास कोष की राशि से मरम्मती हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण को निदेश दिया गया है । विद्यालय के चहारदीवारी निर्माण हेतु मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना या मनरेगा से कराने का निदेश जिला पदाधिकारी, सारण को दिया गया है । रहमत बालिका उच्च विद्यालय, मस्तीचक में कुल 9 कमरे हैं जिसमें 2 कमरे पूरी तरह जर्जर हैं तथा 5 कमरे में पठन-पाठन संचालित है तथा 1 कमरा कार्यालय तथा 1 कमरा स्टोर रूम के रूप में उपयोग किया

जाता है । 2 जर्जर कमरों की मरम्मती हेतु विद्यालय विकास कोष से कराने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण को निदेश दिया गया है । इस विद्यालय में चहारदीवारी उपलब्ध है ।

श्री छोटे लाल राय : अध्यक्ष महोदय, जितनी भी जगह हाई स्कूल हैं सबकी स्थिति बहुत जर्जर है। हम आग्रह करेंगे कि मरम्मती का कार्य नहीं बल्कि वहां नया विद्यालय भवन बनाने की व्यवस्था की जाये । हमने अब दो विद्यालय का प्रस्ताव दिया और इसके पहले भी दो-तीन का प्रस्ताव दिया था । हाई स्कूल को पहले प्राथमिकता देकर सभी में भवन निर्माण कराने की कृपा की जाय ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है हम लोग इस पर जरूर विचार करेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-4 (श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, क्षेत्र संख्या-216, जहानाबाद)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि हरनाखास महादलित टोला में प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 10 डिसमिल भूमि प्राप्त है । विभागीय प्रावधान के अनुसार प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हेतु कम से कम 20 डिसमिल भूमि होनी चाहिए । रास्ता नहीं रहने के कारण विद्यालय भवन का निर्माण नहीं कराया जा सका है । वर्तमान में विद्यालय का संचालन सामुदायिक भवन में चल रहा है । मानक के अनुरूप जमीन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता के आधार पर भवन निर्माण कराया जायेगा ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : अध्यक्ष महोदय, वहां पर्याप्त जमीन उपलब्ध है चूंकि वह पूरा जो टोला महादलित का है । महोदय, वह पूरा सरकारी जमीन पर बसा हुआ है वहां जगह की कोई अभाव नहीं है । महोदय, हम स्वयं वहां जाकर देखे भी हैं और उसके लिये माननीय मंत्री महोदय द्वारा जैसा बताया जा रहा है कि 10 डिसमिल, 10 डिसमिल ही नहीं हम लोग पूरी जमीन, आम लोग जमीन दिये हैं उसके अलावा सरकारी जमीन भी वहां उपलब्ध है ।

अध्यक्ष : आप जमीन उपलब्ध करवा दें ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, वहां पर्याप्त जमीन उपलब्ध है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, जब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि ये खुद गये हैं स्थल पर और इन्होंने खुद देखा है और हमारी तो रिपोर्ट में आया है कि वहां विद्यालय के नाम से 10 डिसमिल ही जमीन उपलब्ध है तो आप निश्चित उसकी विशिष्ट सूचना हमको लिख कर दे दीजिए हम जांच कराकर अगर होगा तो निश्चित बनवा देंगे ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट चूंकि पिछली बार भी हमारा सवाल था...

अध्यक्ष : सकारात्मक जवाब दिया ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, जब सदन को अधिकारी लोग गलत जवाब देते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और लगातार इसी तरह का जवाब आता है तो माननीय मंत्री महोदय से हम अपेक्षा करते हैं कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने तो आपको ही कह दिया है कि आप उपलब्ध करा दें । प्रमाण आएगा तो देखेंगे...

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, हम तो उपलब्ध करायेंगे ही...

अध्यक्ष : ठीक है । श्री बागी कुमार वर्मा ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, एक चीज और हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं माननीय सदस्य को कि वहां के अधिकारी ने जवाब दिया है कि वहां विद्यालय के नाम से 10 डिसमिल जमीन उपलब्ध है अगर आप प्रमाण सहित यह हमें बता दें कि विद्यालय के नाम से 10 डिसमिल से अधिक भूमि उपलब्ध है तो जरूर उस रिपोर्ट भेजने वाले पदाधिकारी पर हम कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष : चलिये अब हो गया ।

तारांकित प्रश्न संख्या-5 (श्री बागी कुमार वर्मा, क्षेत्र संख्या-215, कुर्था)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अरवल जिला अन्तर्गत प्रखण्ड करपी के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर-1 के लिए भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में 1.90 लाख रुपये विद्यालय शिक्षा समिति को उपलब्ध कराया गया था लेकिन भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण राशि वापस कर दिया गया । वर्ष 2019 में उक्त विद्यालय को जमीन उपलब्ध हो गयी थी । बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना को प्राथमिकता के आधार पर उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराने का निदेश दिया गया है ।

श्री बागी कुमार वर्मा : महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह जो प्राथमिक विद्यालय है बच्चे वहां पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते हैं तो समय-सीमा बता देंगे कि कितने दिनों में उस विद्यालय को बनवाने की कृपा करेंगे ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इसको अगले वित्तीय वर्ष में हम बनवा देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-6 (श्री हरि नारायण सिंह, क्षेत्र संख्या-177, हरनौत)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय को प्लस-2 कोड आवंटन हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा से दिनांक-23.11.2021 को अनुशंसा प्राप्त होने पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिनांक-24.11.2021 को उच्च विद्यालय, चिस्तीपुर का कोड-12162 एवं रामलाल उच्च विद्यालय, खपुरा को कोड-12161 आवंटित कर दिया गया है ।

श्री हरि नारायण सिंह : महोदय, मंत्री जी का उत्तर प्राप्त है और उत्तर से भी मैं संतुष्ट हूं लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं उन दोनों विद्यालयों में 10 वर्ष पूर्व से भवन बना हुआ था आखिर प्रश्न करने पर ही उत्तर पॉजिटिव मिला तो 10 वर्ष से सरकार क्या कर रही थी । क्यों इनको कोड दे रही थी, यही प्रश्न है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय हरि नारायण बाबू ने तो दोनों बात कह दी कि सरकार का उत्तर न सिर्फ सकारात्मक है बल्कि उन्होंने जो प्रश्न किया था जो वह चाह रहे थे वह हम कर चुके हैं और उनको इस बात की सूचना दे रहें है कि सरकार ने उनकी इच्छा पूरी कर दी है अब 10 वर्ष पहले सरकार ने क्या नहीं किया हम समझते हैं कि ये तो हमसे बेहतर वे खुद जानते हैं ।

अध्यक्ष : वे प्रश्न पहले किये रहते तो और पहले हो जाता ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : नहीं महोदय, पहले वह प्रश्न करने की नहीं उत्तर देने की स्थिति में थे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-7 (श्री पवन कुमार यादव, क्षेत्र संख्या-155, कहलगाँव)</u>

श्री आलोक रंजन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय,(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत सन्हौला प्रखंड में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी से प्रस्ताव की मांग विभागीय पत्रांक-1579, दिनांक-25.11.2021 द्वारा की गयी है । प्रस्ताव प्राप्त होते ही विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा ।

श्री पवन कुमार यादव : सरकारी भूमि है सर हमारे यहां ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-8 (श्री कुंदन कुमार, क्षेत्र संख्या-146, बेगूसराय)</u>

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राजकीय मध्य विद्यालय...

अध्यक्ष : जवाब आपका दिया हुआ है, माननीय सदस्य पूरक पूछिये ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, जवाब नहीं मिला है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैंने तो शुरू में ही कह दिया है कि जवाब सारे प्रश्नों का दिया हुआ है जितने प्रश्न हैं सभी का उत्तर दिया हुआ है ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, जवाब मैं देख नहीं पाया ।

अध्यक्ष : अच्छा एक बार पढ़ दिया जाय ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय,(1) वस्तुस्थिति यह है कि राजकीय मध्य विद्यालय, रघुवर नगर स्टेशन रोड लेहरी धर्मशाला के प्रांगण में स्थित 2 वर्ग कक्ष में संचालित है।

(2) उक्त विद्यालय में 2 वर्ग कक्ष, 10 पदस्थापित शिक्षक एवं 235 छात्र-छात्रा नामांकित हैं ।

(3) मध्य विद्यालय वार्ड नम्बर-3 में मात्र 6 वर्ग कक्ष हैं । यहां कुल 520 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं एवं कुल 16 शिक्षक पदस्थपित हैं । उक्त विद्यालयों में वर्ग कक्ष के अभाव के कारण वहां शिफ्ट नहीं किया जा सकता है ।

दूसरा मध्य विद्यालय बी0एस0एस0 कॉलेजियट में 9 कमरा उपलब्ध है और चूंकि महोदय दोनों की दूरी समान है । अतः मध्य विद्यालय, रघुवर नगर को उक्त विद्यालय यानी बी0एस0एस0 कॉलेजियट में एक सप्ताह के अंदर शिफ्ट कर दिया जायेगा ।

टर्न-5/मुकुल/30.11.2021

श्री कुंदन कुमारः मंत्री जी, धन्यवाद ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-9 (श्री मुकेश कुमार रौशन, क्षेत्र संख्या-126 महुआ)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः वस्तुस्थिति यह है कि राजकीयकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हरपुर मिर्जानगर, महुआ के अतिरिक्त वर्गकक्ष निर्माण हेतु वर्ष 2009-10 में 26.00 लाख उपलब्ध कराया गया था, जिसके विरुद्ध 18.20 लाख रुपये का व्यय कार्यकारी एजेंसी द्वारा किया गया । ससमय पूर्ण राशि का व्यय नहीं होने एवं विभागीय निदेश के आलोक में शेष राशि चालान के माध्यम से वापस कर दी गयी ।

भवन का भौतिक सत्यापन में पाया गया कि चार कमरा नीचे एक बरामदा, एक कमरा ऊपर का छत ढलाई तक कार्य हो चुका है, परन्तु भवन का प्लास्टर, खिड़की, दरवाजा एवं रंग-रोगन का कार्य अभी तक नहीं कराया गया है ।

प्रश्नगत विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण जिला अभियंता से कराकर प्राक्कलन उपलब्ध कराने हेतु प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना को पत्र दिया गया है । यथा संभव अगले वर्ष में अर्द्धनिर्मित भवन को पूर्ण कराया जायेगा ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महुआ प्रखंड के मिर्जानगर में अवस्थित हाई स्कूल में भवन लगभग 12 वर्षों से लंबित है, स्कूल के अधूरे भवन के निर्माण में लगभग 26 लाख में से मात्र

18 लाख 20 हजार रुपया संवेदक को दे दिया गया है, उसके बावजूद आज तक भवन में न तो प्लास्टर हुआ, न खिड़की लगी और न ही रंग-रोगन हुआ है । क्या दोषी पदाधिकारियों पर माननीय मंत्री महोदय कार्रवाई करना चाहते हैं या नहीं ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, उन्होंने प्रश्न में ही कहा है कि जितना काम हुआ उसका पेमेंट हुआ और बाकी राशि फिर वापस सरकार के खाते में जमा कर दी गई, बाकी बचे हुए काम निर्माण कार्य पूरा करने में विलम्ब अवश्य हुआ है लेकिन बचा हुआ काम हम अगले वित्तीय वर्ष में पूरा कर देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-10 (श्री विनय कुमार, क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि जिले के गुरूआ प्रखण्ड अन्तर्गत पलुहारा पंचायत के ग्राम-बारा से दक्षिण में एक किलोमीटर के अन्तर्गत मध्य विद्यालय चाँसी, (उत्क्रमित उच्च विद्यालय, चाँसी) एवं उत्तर-पश्चिम में उर्दू मध्य विद्यालय, डिहुरी लगभग एक किलोमीटर के अन्तर्गत अवस्थित है । मध्य विद्यालय चाँसी में बारा ग्राम के बच्चे नामांकित है । विभागीय नियमानुसार एक किलोमीटर के अन्तर्गत विद्यालय अवस्थित रहने के कारण नये विद्यालय की स्थापना नहीं की जा सकती है ।

अध्यक्ष: पूरक पूछिए ।

श्री विनय कुमार: अध्यक्ष महोदय, पलुहारा पंचायत के ग्राम-बारा में नया प्राथमिक विद्यालय खोलने की बात थी । इसमें उत्तर आया है कि इसके एक किलोमीटर के अंदर मध्य विद्यालय, चाँसी है इसलिए प्राथमिक विद्यालय नहीं खोजा जायेगा तो महोदय, ग्राम-बारा में मध्य विद्यालय, चाँसी में 580 बच्चे हैं और वहां पर शिक्षकों की संख्या केवल 9 है जबकि सरकार का मानक है कि 40 बच्चों पर 1 शिक्षक होना चाहिए तो इस हिसाब से वहां पर 15 शिक्षक होने चाहिए लेकिन केवल 9 ही शिक्षक हैं और मैं सरकार से पूरक पूछना चाहता हूं कि अगर उस गांव की जनसंख्या ज्यादा है तो क्या सरकार एक किलोमीटर के अंदर भी विद्यालय खोलने का विचार रखती है या नहीं ? क्योंकि आज चार साल के नौनिहाल बच्चे एक किलोमीटर जाते हैं तो उसके कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि उस गांव में भी विद्यालय खोलने के लिए मानक में सुधार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है क्योंकि अब चार साल के बच्चे ।

अध्यक्ष: आप अपने पूरक का जवाब सुनिये ।

श्री विनय कुमार: जी, सर । पहले बोल दें, एक तो वहां पर संसाधन की कमी है कि जो 40 बच्चों पर 1 शिक्षक होना चाहिए जो शिक्षा विभाग का मानक है उसके अनुसार वहां

पर न तो शिक्षक हैं न ही जगह है तो सरकार इस पर विचार रखती है या नहीं ? ग्राम-बारा में भी कैसे विद्यालय खुलेगा यह भी सरकार बतलाने की कृपा करे ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूरक पूछा है उसके दो अंश है । एक तो यह है कि सरकार 1 किलोमीटर के अंदर में विद्यालय खोलने का विचार रखती है या नहीं तो अभी 1 किलोमीटर के अंदर विद्यालय खोलने का विचार नहीं है, इसलिए कि अभी जो शिक्षा के अधिकार कानून के तहत जो पूरे देश में नीति लागू है और बिहार में भी हमलोगों ने अभी लक्ष्य रखा है कि 5 किलोमीटर पर उच्च विद्यालय, 3 किलोमीटर पर मध्य विद्यालय और 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय अगर नहीं है तो हमलोग नया खोलते हैं और जहां तक जो ये ग्राम-बारा में प्राथमिक विद्यालय खोलना चाह रहे हैं और हमने कहा कि वहां के बच्चे मध्य विद्यालय, चाँसी में नामांकित हैं जो 1 किलोमीटर से कम की दूरी पर है और जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अगर वहां छात्र-छात्राओं की अधिक संख्या है और मानक के हिसाब से वहां और अधिक शिक्षकों की नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए तो वह अभी पंचायत चुनाव खत्म होता है तो हमलोग लाख-सवा लाख शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं तो उसमें उस हिसाब से हमलोग आगे की कार्रवाई कर देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-11 (श्री ललित कुमार यादव, क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि नवसृजित प्राथमिक विद्यालय ठकुरनियां को दो वर्ष पूर्व लगभग 02 कट्ठा 10 धूर सरकारी भूमि उपलब्ध हुआ है । विद्यालय का अपना भवन नहीं होने के कारण इसका संचालन उत्क्रमित उच्च विद्यालय ठकुरनियां के भवन में किया जा रहा है ।

प्राथमिक विद्यालय अदलपुर मकतब में 02 वर्गकक्ष है, जो जर्जर स्थिति में है । बच्चों के पठन-पाठन के लिए उक्त विद्यालय का संचालन प्राथमिक विद्यालय अदलपुर कन्या के भवन में किया जा रहा है ।

उक्त दोनों विद्यालयों का भवन निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करा दिया जायेगा ।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर है, हमने मात्र दो विद्यालयों का प्रश्न पूछा है यह सदर प्रखंड के ठकुरनिया अदलपुर का । दोनों ही प्रश्नों में इन्होंने स्वीकार किया है कि भूमि उपलब्ध है । महोदय, एक तो 14 साल से जर्जर भवन है। महोदय, यह दो स्कूल का मात्र प्रश्न है । हम माननीय मंत्री जी को अपने ही क्षेत्र में 100 विद्यालयों का नाम गिनाते हैं जो अति पिछड़ा और दलित की बस्ती में है और

15 साल से इन्होंने भवन नहीं बनाया है और जहां भवन बना हुआ है जर्जर अवस्था में है और ये बोलते हैं कि हम दोनों विद्यालयों को दूसरी जगह से टैग कर दिये हैं । एक तरफ सरकार कह रही है कि 1 किलोमीटर पर हम विद्यालय खोलेंगे और दूसरी तरफ इनके जवाब में ।

अध्यक्षः आपका पूरक प्रश्न क्या है ?

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक ही पूछ रहा हूं । यह सरकार की नीति कह रही है कि 1 किलोमीटर पर हम विद्यालय खोलेंगे और यह हम कह रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र में सैकड़ों विद्यालय का नाम बताते हैं जो 4 किलोमीटर पर, 5 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय काकरघाटी उर्दू, प्राथमिक विद्यालय रामबरे, मनीगाछी में सोनारटोली, वाजीदपुर अनेक सैकड़ों विद्यालय हैं आप बोलें तो हम पढ़ देंगे । तो सरकार एक तरफ कहती है कि 1 किलोमीटर पर विद्यालय खोलेंगे और जहां पर भवन बने हुए हैं जर्जर अवस्था में है, जहां पर विद्यालय भवनहीन है ।

अध्यक्षः इन्होंने तो सकारात्मक जवाब दिया है ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, हम भी सकारात्मक जवाब देखे हैं, आप बताइये, आपको हम पढ़कर सुना सकते हैं । महोदय, हम यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि इन्होंने 5 साल में भवनहीन विद्यालय ।

अध्यक्षः आप लास्ट वाला पढ़ दीजिए कि इन्होंने क्या जवाब दिया है ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, लास्ट वाला जवाब पढ़ दिये, कुछ नहीं है इनका, मिला-जुलाकर जीरो है ।

अध्यक्षः इन्होंने तो कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर करायेंगे ।

श्री ललित कुमार यादवः नहीं महोदय । ये बता दें कि 10 साल में प्राथमिकता के आधार पर बिहार में कितने विद्यालयों का निर्माण करायेंगे, यह बता दें ।

अध्यक्षः इन्होंने आपके सवाल का तो सकारात्मक जवाब दिया है ।

श्री ललित कुमार यादवः क्या सकारात्मक जवाब है महोदय । 15 साल से एक विद्यालय नहीं, सरकार कहती है कि हम 1 किलोमीटर पर विद्यालय खोलेंगे, हम कह रहे हैं कि जहां पर विद्यालय खुला हुआ है इन्होंने बंद करके दूसरी जगह पर टैग कर दिया है । हम अपने यहां ऐसे सैकड़ों विद्यालयों का उदाहरण दे सकते हैं और बिहार में लाखों विद्यालय...

अध्यक्षः आप अपना पूरक संक्षिप्त में पूछिए ।

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, मेरा कहना है कि बिहार में जितने भवनहीन विद्यालय और विद्यालयों के जर्जर भवन हैं, सरकार समय सीमा बताये कि कितने दिनों में यह निर्माण करा देंगे ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः महोदय, सबसे पहली बात तो माननीय सदस्य का जो प्रश्न है इसमें सिर्फ उन्होंने दो विद्यालयों की चर्चा की तो अभी तो हम उन्हीं दो विद्यालयों के बारे में स्थिति आपको बता सकेंगे । अगर आप पूरे बिहार के बारे में जब प्रश्न पूछिएगा तो पूरे बिहार की स्थिति बता देंगे और अभी इन दो विद्यालयों में हमने स्वीकार किया है कि भवन की स्थिति अच्छी नहीं है, इन दोनों विद्यालयों में भवन की स्थिति अगले वित्तीय वर्ष में हम अच्छी बना देंगे ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, ये दो विद्यालयों के बारे में बोल रहे हैं लेकिन हम कह रहे हैं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों विद्यालय हैं और राज्य में कम-से-कम लाखों विद्यालय हैं ।

अध्यक्षः उन्होंने आपके दो विद्यालयों के बारे में जो कहा है कम-से-कम उसका तो आप धन्यवाद दें । श्रीमती मंजु अग्रवाल ।

श्री ललित कुमार यादवः सरकार के जितने विद्यालय हैं भवनहीन और जर्जर, 2 माह में, 6 माह में, महोदय, ये अपने कार्यकाल में ।

अध्यक्षः श्रीमती मंजु अग्रवाल ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-12 (श्रीमती मंजु अग्रवाल, क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः वस्तुस्थिति यह है कि मंजरी ग्राम में प्राथमिक विद्यालय की इकाई स्वीकृत नहीं है । डोभी प्रखण्ड के घोड़ाघाट पंचायत के मंजरी ग्राम से 400 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय पिंडरा खूर्द अवस्थित है । मंजरी ग्राम से उत्तर दिशा में 900 मीटर की दूरी पर राजकीय बुनियादी विद्यालय घोड़ाघाट अवस्थित है ।

उक्त विद्यालय में कुल 08 अतिरिक्त वर्गकक्ष के निर्माण के लिए स्वीकृत है, जिसमें 04 अतिरिक्त वर्गकक्ष निर्माणाधीन है । वर्तमान में वर्गकक्ष पठन-पाठन के लिए उपयुक्त नहीं रहने के कारण उक्त विद्यालय का संचालन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, राजकीय बुनियादी विद्यालय, घोड़ाघाट में किया जा रहा है । प्राथमिकता के आधार पर उक्त विद्यालय के वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य को पूर्ण करा दिया जाएगा ।

श्रीमती मंजु अग्रवालः अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक पूछना चाहती हूं कि उन प्राथमिक विद्यालयों का भवन बिल्कुल जर्जर स्थिति में है और उसका भवन निर्माण कब कराया जायेगा, समय अवधि बता दें ?

अध्यक्षः माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि माननीय सदस्या ने जो प्रश्न किया है उक्त विद्यालय में 8 वर्गकक्ष का निर्माण स्वीकृत है जिसके अनुमोदन की

प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया पूरी होते ही अगले वित्तीय वर्ष में इस काम को पूरा करा दिया जाएगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या--'क'13 (श्री सत्यदेव राम, क्षेत्र संख्या-107 दरौली (अ0जा0)

अध्यक्ष: पूरक पूछिए ।

श्री सत्यदेव राम: महोदय, उत्तर नहीं आया है ।

अध्यक्ष: उत्तर पहले से दिया हुआ है ।

श्री सत्यदेव राम: अध्यक्ष महोदय, मेरे पास नहीं आया है ।

अध्यक्ष: हम इसलिए कहे थे कि सभी माननीय सदस्य अपने पी0ए0 को थोड़ा प्रशिक्षित करें और जरूरत पड़ेगा तो मैं प्रशिक्षण भी दिलवाऊंगा ।

श्री सत्यदेव राम: महोदय, मेरा पी0ए0 प्रशिक्षित है और वेबसाइट पर सर्च भी किया है । अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है ।

अध्यक्ष: ठीक है । मंत्री जी जवाब पढ़ दें ।

माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, खंड(1)- आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि सिवान जिलान्तर्गत राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय सिवान स्वीकृत एवं संचालित है ।

वर्तमान में विधान सभा दरौली क्षेत्र संख्या-107 के दरौली, गुठनी और आन्दर प्रखंड में आवासीय विद्यालय के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

खंड(2)-उपरोक्त खंड-1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री सत्यदेव राम: अध्यक्ष महोदय, यह कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में भूमि की उपलब्धता होने पर इस पर विचार किया जा सकता है ।

अध्यक्ष: श्री सुदामा प्रसाद ।

श्री सत्यदेव राम: महोदय, भूमि उपलब्ध है ।

अध्यक्ष: इन्होंने सकारात्मक जवाब दिया है ।

टर्न-6/यानपति/30.11.2021

श्री सत्यदेव राम: अध्यक्ष महोदय, भूमि उपलब्ध है ये स्वीकृति प्रदान करें इसमें स्पष्ट बताएं कि कब तक हम स्वीकृति प्रदान करेंगे ।

अध्यक्ष: बता ही तो दिए हैं अगले वित्तीय वर्ष में ।

श्री सत्यदेव राम: उपलब्धता के आधार पर बोले हैं, कब उपलब्ध होगी, इसकी क्या सीमा है ।

अध्यक्षः आप जब करा देंगे इनको ।

श्री सत्यदेव रामः वे सीमा बताएं उसमें हम उनको मदद करेंगे ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, इसको देख लीजिएगा । श्री सुदामा प्रसाद ।

श्री सत्यदेव रामः नहीं महोदय.....

अध्यक्षः अब उनको आने दीजिए । समय कम है । सुदामा जी आप पूरक पूछिये ।

श्री सत्यदेव रामः यह जवाब नहीं हुआ ।

अध्यक्षः अब सुदामा जी का प्रश्न भी सुन लीजिए ।

श्री सत्यदेव रामः यह मेरे प्रश्न का जवाब हुआ ही नहीं ।

अध्यक्षः आप नहीं चाहते हैं कि सुदामा जी के प्रश्न का जवाब सुनें ।

श्री सत्यदेव रामः पहले मेरे प्रश्न का जवाब दिलवा दीजिए मंत्री जी से कि कब तक क्या करेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिए हैं कि आप उपलब्ध करवाएंगे तो वे दिखवा लेंगे ।

श्री सत्यदेव रामः कब तक ?

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, फिर दोहरा दीजिए ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार दलितों के प्रति, शोषितों के प्रति काम कर रही है और आने वाले समय में.....

अध्यक्षः बैठ जाइये, सुनिये ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्रीः आने वाले समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमलोगों को निर्देशित किया है कि हमलोग ऐसे ब्लॉक के बारे में जानकारी प्राप्त करें जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग 50 हजार की संख्या है उनकी वहां हमारी सरकार आवासीय विद्यालय बनाने जा रही है । आप देखेंगे कि आनेवाले समय में 90-100 आवासीय विद्यालय बनेंगे । आप निश्चिन्त रहिए ।

श्री सत्यदेव रामः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या ज्यादा है तभी वह सुरक्षित हुआ है.....

अध्यक्षः अब तो सुदामा जी की बात को सुनें । बोलिए पूरक सुदामा जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः सुदामा जी तो इनके प्रति सुदामा भाव रखते हैं लेकिन सत्यदेव जी, सुदामा जी के प्रति कृष्ण भाव नहीं रखते हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या-14 (श्री सुदामा प्रसाद, क्षेत्र संख्या-196 तरारी

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः वस्तुस्थिति यह है कि प्रखण्ड सहार अन्तर्गत आदर्श मध्य विद्यालय सहार में 4 कमरा एवं 9 खपरैल कमरा उपलब्ध है जिसमें वर्ग 6, 7 एवं 8 की पढ़ाई की जाती है । वित्तीय वर्ष 2011-12 में उक्त विद्यालय के 03 कमरे के निर्माण के लिए कुल 8,10,000 /- (आठ लाख दस हजार रुपये) स्वीकृत हुआ था लेकिन विद्यालय प्रांगण में एक हरा पेड़ था, जो काफी प्रयास के बाद भी काटा नहीं जा सका । फलतः प्रधानाध्यापक द्वारा दिनांक 09.02.2016 को राशि लौटा दिया गया ।

प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय सहार में 5 कमरा जर्जर है, जहां पठन-पाठन का कार्य नहीं किया जा सकता है । वर्तमान में प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय का पठन-पाठन कार्य मूल विद्यालय से लगभग 100 मीटर की दूरी पर अवस्थित मॉडल स्कूल सहार में की जाती है ।

श्री सुदामा प्रसादः अध्यक्ष महोदय, जवाब में लिखा गया है कि पेड़ नहीं कटा इसीलिए पैसा लौटा दिया गया है तो हमारा तो प्रश्न है कि.....

अध्यक्षः पूरक क्या है ?

श्री सुदामा प्रसादः पूरक यही है कि स्कूल भवन बनेगा या नहीं । मंत्री जी इसका जवाब दें कि इसका क्या हल है ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः हम इसमें चूंकि यह हमारे माननीय सदस्य के क्षेत्र का मामला है हम इसमें आपका सहयोग भी चाहते हैं कि वहां जो कुछ विवाद है पेड़ के कारण जिसके कारण गांव में भी दो ग्रुप बन जाता है जो हमें सूचना दी गयी है आप हमें सहयोग करिये उस विवाद को सलटा दीजिए हम निश्चित बनवा देंगे ।

अध्यक्षः श्री अखतरूल ईमान ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-15 (श्री अखतरूल ईमान, क्षेत्र संख्या-56 अमौर)</u>

श्री अखतरूल ईमानः पूछता हूं ।

अध्यक्षः पूरक पूछिए ।

श्री अखतरूल ईमानः मुझे जवाब नहीं मिल पाया है इसीलिए बोल रहा हूं ।

अध्यक्षः आप डिजिटल से तो जुड़े हुए हैं ।

श्री अखतरूल ईमानः हां सर, मैं जुड़ा हुआ हूं लेकिन किसी वजह से नहीं मिल पाया था ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, पढ़ दिया जाय ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन हेतु छठे चरण की कार्रवाई चल रही है, जो वर्तमान में पंचायत चुनाव, 2021 हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण स्थगित कर दी गयी है । आचार संहिता समाप्ति के उपरांत नियोजन की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी, तत्पश्चात् प्रश्नगत विद्यालय में शिक्षकों का पदस्थापन कर दिया जायेगा ।

श्री अखतरूल ईमानः सर, हफनिया हाईस्कूल बहुत ही इंटेरियर में है और लगभग 40 कि0मी0 के दरम्यान में कोई पुल नहीं है वहां तक जाने के लिये और महोदय वहां 500 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां हैं और सिर्फ दो शिक्षक हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि फौरी तौर पर प्रतिनियुक्त करने का कोई विचार रखते हैं वहां के बच्चों की सुविधा के लिये और एक सवाल और भी पूछूंगा सर कि शहरी क्षेत्र में जहां आवागमन में आसानी है वहां पर पर्याप्त शिक्षक हैं और जहां जो इंटेरियर है जहां लोगों को ज्यादा पढ़ायी की जरूरत है जहां प्राइवेट स्कूल्स नहीं हैं वहां पर शिक्षक जाना नहीं चाहते हैं यही वजह है कि क्या सरकार प्रतिनियुक्ति के सिलसिले में भी अपना कोई प्रोग्राम पॉलिसी रखती है, कई स्कूल में 8 टीचर हैं कहीं 2 टीचर हैं ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः नहीं महोदय, माननीय सदस्य प्रतिनियुक्ति की बात कह रहे हैं वह तो अस्थायी व्यवस्था होती है और हमने तो पंचायत चुनाव की बात कही है, महीने-दो महीने में यही प्रक्रिया पूरी हो जायेगी । फिर चूंकि शिक्षकों की कमी हम खुद मानते हैं, सरकार मानती है इसीलिए सवा लाख शिक्षक और उधर भी हमलोग लगभग 30 हजार शिक्षक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से पद खाली हैं । लेकिन पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होते ही हम शेष नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करेंगे और आपकी बात से हम सहमत हैं कि वहां पद खाली है वहां निश्चित रूप से शिक्षकों की नियुक्ति/पदस्थापन कर दी जाएगी ।

अध्यक्षः श्री विजय कुमार ।

श्री अखतरूल ईमानः एक अंतिम पूरक है सर एक अंतिम पूरक । सर प्लीज, एक अंतिम पूरक है ।

अध्यक्षः तीन हो गया है । श्री विजय कुमार ।

तारांकित प्रश्न संख्या-16 (श्री विजय कुमार, क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्रीः (1) अस्वीकारात्मक है । 01 अप्रैल, 2016 से लागू मद्यनिषेध नीति को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करते हुए कुल 8101 छापामारी कर 980 अभियोग दर्ज करके 859 व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया । 149 के विरुद्ध फरार अभियोग तथा 195 अज्ञात अभियोग दर्ज किया गया । कुल 6932.25 लीटर चुलाई शराब, 799.6 लीटर अवैध देशी, 65.6 लीटर मशालेदार देशी शराब, 8046.73 लीटर विदेशी शराब 204582 कि0ग्रा0 किण्वित गुड का पास, 228 लीटर बीयर, 1163.55 लीटर ताड़ी जब्त किया गया । प्रासंगिक अवधि में कुल 37 वाहन जब्त किये गये ।

(2) जहरीली शराब की बिक्री, निर्माण एवं उपभोग को प्रतिबंधित करने हेतु लगातार छापामारी एवं गिरफ्तारी की जा रही है । राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में 05 समेकित जांच

चौकी स्थापित कर लगातार जांच कराई जा रही है । राज्य के प्रमुख नदियों में नाव से गश्ती कराई जा रही है ताकि अवैध कारोबारियों पर नकेल कसा जा सके । अप्रैल, 2016 से अक्टूबर, 2021 तक उत्पाद विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा 348170 अभियोग दर्ज किया गया है, 401855 व्यक्तियों को गिरफतार किया गया है । जब्त प्रदर्श में विदेशी शराब 12,57,08,309.0 लीटर विदेशी शराब एवं 67,97,254.0 लीटर देशी शराब जब्त किया गया है । राज्य से बाहर कुल 6852 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । अब तक 61,349 वाहनों को जब्त किया गया है ।

(3) उपरोक्त कंडिका 1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री विजय कुमार: ऑनलाइन उत्तर असंतोषजनक है । मैंने शेखपुरा जिला में जहरीली शराब की बिक्री और उसके पीने से गरीब लोगों की मृत्यु के संबंध में प्रश्न किया था लेकिन इनके उत्तर में पूरे राज्य का एक रटा-रटाया सामान्य आंकड़ा दे दिया गया । उदाहरण स्वरूप निक्कू कुमार, पिता-गोवर्धन प्रसाद.....

अध्यक्ष: पूरक क्या है आपका, सीधे पूरक पूछिए । समय कम है । माननीय सदस्य बार-बार आग्रह करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हों ।

श्री विजय कुमार: सरकार इसपर लीपापोती कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है ।

अध्यक्ष: पूरक पूछिए न ।

श्री विजय कुमार: हम आपके माध्यम से चाह रहें हैं कि कबतक दोषी पदाधिकारियों और शराब माफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां के जिला प्रशासन से रिपोर्ट प्राप्त है उसके अनुसार एक पुलिस पदाधिकारी का इस दौरान 2016 के बाद से जब यह नीति लागू की गयी शराबबंदी की तो उसका डिसमिसल भी हुआ है और तीन पदाधिकारियों पर अभी विभागीय कार्यवाही चल रही है उसके अतिरिक्त उसी जिले में मैंने खंड (क) में लिखा है कि जबसे यह नीति लागू हुई और कानून बना तबसे उस जिले में 8101 छापामारी की गयी, 980 अभियोग दर्ज किए गए, 859 व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया 149 के विरुद्ध फरार अभियोग तथा कुल 69032 लीटर चुलाई शराब, 799 लीटर अवैध देशी शराब, मसालेदार देशी शराब 8046 आदि बरामद हुए । प्रासंगिक अवधि में कुल 37 वाहन भी जब्त किए गए । उस जिले में कार्रवाई लगातार हो रही है और जो कमी अगर प्रशासनिक तौर पर देखी जा रही है तो वहां उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी हो रही है ।

अध्यक्ष: श्री अरूण शंकर प्रसाद । पूरक पूछिए ।

तारांकित प्रश्न संख्या–17 (श्री अरूण शंकर प्रसाद, क्षेत्र संख्या–33 खजौली)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: (1) स्वीकारात्मक ।

(2) बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफफरपुर के कुलसचिव के पत्रांक–बी/1884 दिनांक 26.11.2021 के प्रतिवेदनानुसार कोविड–19 के कारण कोई ठोस प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकी थी परन्तु अब स्थिति सामान्य होने लगी है जिसके बाद खरीदारी संबंधित प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है एवं अंतिम चरण में है जिसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जायेगा ।

(3) उपरोक्त कंडिका में अंकित है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद: बिहार विश्वविद्यालय के कुलसचिव के द्वारा बताया गया है कि कोविड–19 की वजह से विलंब हुआ है राशि प्रयोगशाला की है और उसके क्रय में विलंब का कारण कोविड–19 को बताया गया है जबकि कोविड–19 स्वयं स्पष्ट है कि 2019 के दिसंबर में आया है । ये राशि महोदय 2018 की है और 2018 से आजतक वे बैठे हुए थे और एक करोड़ रुसा की राशि प्रयोगशाला के लिए क्रय के लिए था बच्चों का और वह बच्चा प्रयोगशाला में बिना उपकरण के काम करते रहा लेकिन वह खरीद नहीं कर सका । इसलिए मेरा उसमें प्रश्न है महोदय कि विलंब के लिए दोषी पदाधिकारी पर कौन सी कार्रवाई करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, जो इसके विलंब के लिए हालांकि खुद माननीय सदस्य ने कहा है कि यह राशि 2018 की राशि है, फिर इसका प्राक्कलन बनते, अप्रूवल होते 2019 आ गया और उसके बाद फिर कोविड का दौर शुरू हो गया लेकिन फिर भी माननीय सदस्य जिम्मेदारी से कह रहे हैं तो हम इसकी मुख्यालय के अधिकारी से जांच करा लेंगे और अगर कोई दोषी होंगे तो कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष: ठीक है । श्री संजय सरावगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या–18 (श्री संजय सरावगी, क्षेत्र संख्या–83 दरभंगा)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय का प्लस टू में उत्क्रमण किया गया । विद्यालय के प्लस टू कक्षा में नामांकन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा कोड संख्या–51171 निर्गत कर दी गई है । विद्यालय में नामांकन एवं कोड प्राप्त करने में विलम्ब के लिए दोषी कर्मी/पदाधिकारी को चिन्हित कर प्रतिवेदित करने का निदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा को दी गयी है ।

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब मिला है पांच साल पहले प्लस टू का भवन बनकर तैयार हो गया है और अभीतक वहां नामांकन प्रारंभ नहीं हुआ है प्लस टू में तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि नामांकन कब से प्रारंभ होगा और जो कोड मिला वह कब मिला यह मैं जानना चाहता हूं । अभीतक नामांकन प्रारंभ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ । इसमें कौन है दोषी । और यह कोड मिला तो कब मिला 15 में भवन बनकर तैयार हो गया 1 करोड़ 15 लाख का ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, कोड तो अभी दिया है हमने उनको ये माननीय सदस्य का कहना सही है कि कोड मिलने में विलंब हुआ है जिसके कारण नामांकन में भी विलंब हुआ है । कोड मिल गया है अब जैसे ही बच्चे आएंगे नामांकन प्रारंभ हो जायेगा ।

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, बस मेरा एक पूरक है पांच साल हो गया पहले हमलोग प्रश्न लगाते थे भवन बन जाय और लगातार पांच साल मैंने प्रयास किया.....

अध्यक्ष: अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ ।

श्री संजय सरावगी: समयबद्ध कार्रवाई जो है माननीय मंत्री जी इसपर कबतक करायेंगे दोषी पर, जरा बताएं ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: कोड मिल गया है अब आगे की कार्रवाई में नामांकन होना है बच्चे आयेंगे नामांकन होगा ।

अध्यक्ष: अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जायं ।

टर्न–7/अंजली/30.11.2021

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब सुन लीजिए, पहले हमारा प्रस्ताव तो सुन लीजिए ।
आज माननीय सदस्यगण, आप सबों के सहयोग से और सरकार की सजगता से शिक्षा विभाग का अल्पसूचित हंड्रेड परसेंट, समाज कल्याण विभाग का अल्पसूचित हंड्रेड परसेंट, परिवहन विभाग का हंड्रेड परसेंट और तारांकित प्रश्नों का जवाब भी सभी विभागों का शत प्रतिशत आया है । बहुत–बहुत हमारी शुभकामना और धन्यवाद है ।

(व्यवधान)

अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी । आप सुनियेगा तब न, तो हम सुनते हैं आप ही बोलें । अब कार्यस्थगन प्रस्ताव लिये जायेंगे ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–30 नवंबर, 2021 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । श्री सत्यदेव राम, श्री महबूब आलम, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री अरूण सिंह, श्री भूदेव चौधरी, श्री रामबली सिंह यादव, श्री अजय कुमार एवं श्री अजीत शर्मा ।

आज सदन में राजकीय विधेयकों के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है । अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम 47 (2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण सभी कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है । अब शून्यकाल लिये जाएंगे ।

शून्यकाल

श्री कुंदन कुमार: अध्यक्ष महोदय, दिनांक-30 अक्टूबर, 2021 की कार्रवाई में मारे गये बेगूसराय जिला के शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन जी को सरकार की तरफ से अनुग्रह राशि और निकटतम आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी की मांग करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम: महोदय, हमारा कार्यस्थगन सुन तो लिया जाय ।

अध्यक्ष: अच्छा बाद में देखेंगे । श्री मोहम्मद कामरान । आप अपना पढ़िये न । शून्यकाल में समय कम है ज्यादा से ज्यादा लोगों का शून्यकाल लेना है ।

श्री मोहम्मद कामरान: अध्यक्ष महोदय, नवादा जिले में जले हुये ट्रांसफार्मर की किल्लत को देखते हुये, मैं नवादा जिला में एक (TRW) ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग कार्यशाला खोलने की मांग करता हूं ।

श्री सूर्यकांत पासवान: अध्यक्ष महोदय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 32 संबद्ध कॉलेजों से सत्र 2015-18 और 2016-19 में स्नातक उत्तीर्ण छात्राएं अभी तक कन्या उत्थान योजना के लाभ से वंचित हैं ।

योजना के लाभ से वंचित छात्राओं को योजना का लाभ दिलाने की मांग करता हूं ।

(इस अवसर पर मा0 सदस्य श्री महूबब आलम और श्री सत्यदेव राम वेल में आ गए)

अध्यक्ष: शून्यकाल के बाद देखेंगे । अभी आप अपने आसन पर जाइए, श्री समीर कुमार महासेठ ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्यगण अपने आसन पर चले गए)

श्री समीर कुमार महासेठ: अध्यक्ष महोदय, दिनांक-08.11.2021 को ऑफिसर कॉलोनी में गुलशन खातून की हत्या हुई । अभी तक न अपराधियों की गिरफ्तारी हुई और न ही वैज्ञानिक अनुसंधान का सहारा लिया गया । गुलशन खातून अत्यंत गरीब परिवार की थी ।

अत: हत्यारों को पकड़ने, परिवार को दस लाख का मुआवजा दिये जाने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष: श्री मिथिलेश कुमार । आप पीछे मत देखिए आगे पढ़िए, वे अपने दे देंगे लाइन आपको ।

श्री मिथिलेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक-15.10.2015 एवं झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-4411, दिनांक-13.12.2017 के अनुरूप बिहार के किसानों को भी ऊर्जा विभाग द्वारा भूमि का प्रतिपूर्ति भुगतान किया जाय ।

श्री आलोक कुमार मेहता: अध्यक्ष महोदय, बिहटा अंचल के मौजा-सिकंदरपुर, परियोजना- मेगा औद्योगिक पार्क निर्माण हेतु अधिग्रहित जमीन के मुआवजा राशि के भुगतान में भू-अर्जन कार्यालय, पटना द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया, जिसका मुख्यमंत्री द्वारा जांच के आदेश के आलोक में कार्रवाई अपेक्षित है ।

मैं जनहित में उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं ।

श्रीमती भागीरथी देवी: माननीय अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिलान्तर्गत प्रखंड गौनाहा में बाल्मीकी व्याग्र परियोजना से गौनाहा, मितिहरवा आश्रम होते हुए नकर-टियागंज की तरफ जानेवाली पथ का निर्माण कार्य हो रहा है, उक्त पथ एवं पुल में पेडई नदी एवं कटटा नदी का बालू उपयोग हो रहा है । सदन के माध्यम से इसकी जांच कराने की मांग करती हूं ।

श्री ललन कुमार: अध्यक्ष महोदय, मुंगेर - मिर्जाचौकी फोर लेन सड़क निर्माण हेतु पीरपैंती अंचल में हो रहे भूमि अधिग्रहण में एन०एच०-80 से सटे जमीन का मुआवजा वाणिज्यिक दर से देने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री कुमार शैलेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर विधान सभा क्षेत्र के नारायणपुर प्रखंड के जयपुर चूहड़ पश्चिम पंचायत के वार्ड नंबर-2 के बिहारी यादव पिता-बंटी यादव की दिनांक-25 सितंबर, 2021 को गंगा की धार में डूबने से मौत हो गई ।

अत: पीड़ित परिवार को पांच-लाख सहायता राशि देने की मांग करता हूं ।

श्री हरिभूषण ठाकुर 'बचोल': अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला के बिस्फी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बिस्फी एवं रहिका प्रखंड के कई पंचायतों में जल-जमाव के कारण सैकड़ों एकड़ भूमि में खेती नहीं होती है । वहां किसानों के लिए जल-जमाव बहुत बड़ी समस्या है । सरकार इससे निजात दिलावें ।

श्री मनोज कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के कोटवा प्रखंड अंतर्गत चन्द्रगोकुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मच्छरगांवा के खेल मैदान में स्टेडियम का निर्माण कार्य कराने की मांग करता हूं ।

श्री महा नंद सिंह: अध्यक्ष महोदय, अरवल में वर्तमान खनन पदाधिकारी ने अवैध तरीके से अकूत संपत्ति हासिल किया है । सरकार से उनकी संपत्ति की जांच कराने व खनन विभाग से तत्काल हटाने की मांग करता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता । अब आप पढ़ लिये, अब आप बैठ जाइए, यह गलत बात है। अब आपकी कोई भी बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, महंगाई व लागत के अनुसार गन्ना मूल्य 400 रुपये हो । किसानों से जबर्दस्ती घाटे वाली नील की खेती की तरह बाढ़ व अधिक बरसात से नष्ट होने वाले गन्ना प्रभेदों-CO-0238, CO-0118 की रोपाई कराने पर रोक लगे ।

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आसन की अनुमति के बिना बोलने से आपकी विशेष पहचान नहीं बनती है । माननीय, दूसरे सदस्यों की भी चिंता करें, जैसे आप अपनी बात रखें, दूसरे सदस्य भी रख रहे हैं तो सुने । श्री प्रणव कुमार ।

(व्यवधान)

विषय आ गया, आप बोल दिये विषय आ गया । पढ़ने का मौका मिल गया । श्री प्रणव कुमार जी आप पढ़िये ।

श्री प्रणव कुमारः अध्यक्ष महोदय, मुंगेर का ऐतिहासिक किला जो मुंगेर की पहचान है, जीर्णशीर्ण अवस्था में है तथा खंडित होने के कगार पर है ।

अतः सरकार से मुंगेर के ऐतिहासिक किला का जीर्णोद्धार कराने की मांग करता हूं ।

डॉ॰ सत्येन्द्र यादवः अध्यक्ष महोदय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के एकमात्र गंगा सिंह विधि महाविद्यालय में विधि की पढ़ाई को पुनः आरंभ करने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं।

अध्यक्षः आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । आपका 21 शब्द में है ।

श्री अजय कुमारः अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपेन स्कूलिंग तथा राज्य स्वास्थ्य समिति से सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता का प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षित ग्रामीणों, चिकित्सकों को सरकारी सेवक के रूप में नियुक्त करने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री सुधाकर सिंहः अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला के दुर्गावती प्रखंड अंतर्गत ग्राम मचखिया में पुल के अधूरे निर्माण से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है । सरकार वर्षों से लंबित अधूरा पुल निर्माण कार्य को पूरा करावे ।

टर्न-8/सत्येन्द्र/30-11-21

श्री बीरेन्द्र कुमारः अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अन्तर्गत रोसड़ा नगर परिषद के सफाईकर्मी रामसेवक राम की मृत्यु की जांच अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग से करायी जाय ।

अध्यक्षः धन्यवाद, 18 शब्दों में ।

श्री भरत बिंदः अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला के रामपुर प्रखंड के सवारगढ़ एवं चेनारी प्रखंड के गांव लान्झी के बीच दुर्गावती नदी पर पुल नहीं रहने के कारण दोनों प्रखंडों के लोगों

को आवागमन में काफी परेशानी होती है । अतः जल्द से जल्द पुल का निर्माण कराया जाय ।

श्री पंकज कुमार मिश्रः अध्यक्ष महोदय, तिमूल मुजफ्फरपुर डेयरी अन्तर्गत दुग्ध शीतक केन्द्र, सीतामढ़ी के पुराने भवन को तोड़कर नया भवन में पुरसाने भवन का ईंट एवं छड़ का उपयोग किया गया जिसकी कीमत करोड़ों में है। राजस्व की क्षति करने वाले दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई की मांग करता हूँ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतमः अध्यक्ष महोदय, चेनारी विधान-सभा अन्तर्गत प्राचीनतम रोहतासगढ़ किला परिसर मूलभूत सुविधाओं जैसे-पेयजल, शौचालय, रोशनी, मोबाईल नेटवर्क, यात्री विश्राम गृह तथा आवागमन आदि से वंचित है जिसके चलते पर्यटकों को कठिनाईयों का सामना करना पर रहा है । अतः रोहतासगढ़ किला परिसर में मूलभूत सुविधा उपलबध कराने की सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री संदीप सौरभः अध्यक्ष महोदय, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बी0एस0एस0सी0 इंटरस्तरीय बहाली को 2014 से लटका कर रखा गया है । सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के वाबजूद काउंसलिंग नहीं की जा रही है । सफल अभ्यर्थी अवसाद से ग्रस्त हो रहे हैं । बी0एस0एस0सी0 2014 के लिए अविलंब काउंसलिंग की मांग करता हूँ ।

श्री रामबली सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, घरों का पानी सड़क पर गिरने के कारण गांव से होकर गुजरने वाली ग्रामीण सड़कें जल्दी ही खराब हो जाती है । ग्रामीण सड़क निर्माण के क्रम में गांव के बीच पी0सी0सी0 ढलाई एवं दोनों तरफ नाली निर्माण प्रावधान की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री अरूण सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च न्यायालय, पटना सी0डब्लू0जे0सी0 नं0-5887/2016 द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-01-2019 के आलोक में प्रखंड सुर्यपूरा(रोहतास) धवई आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या-47 पर श्रीमती सीता देवी को संचालन हेतु नियुक्त किया जाय ।

श्री सत्यदेव रामः अध्यक्ष महोदय, सिवान जिलान्तर्गत दरौली विधान-सभा जो जिला से 40 कि0मी0 दूर यू0पी0 बोर्डर पर है । पंचायत स्तर पर 10+2 होने से काफी संख्या में छात्र छात्राएं पास करते हैं, मगर डिग्री कॉलेज नहीं होने से पढ़ाई छूट जाती है । अतः डिग्री कॉलेज स्वीकृति की मांग करता हूँ ।

श्री अजीत कुमार सिंहः अध्यक्ष महोदय, राज्य में बी0पी0एस0एम0 के तहत तीन पदों में आई0टी0 मैनेजर एवं कार्यपालक सहायक की सेवा अवधि पांच वर्ष पश्चात् दो पदों का लाभ देकर मानदेय बढ़ाया गया परन्तु आई0टी0 सहायकों का नहीं । शाषी परिषद की 24 बैठक के निर्णयानुसार बेल्ट्रॉन के पत्रांक एम0पी0 834/19 के अनुरूप आई0टी0 सहायकों के मानदेय बढ़ाने की मांग करता हूँ ।

श्री राकेश कुमार रौशनः अध्यक्ष महोदय, नालंदा जिलान्तर्गत इस्लामपुर प्रखंड में बहने वाली जलवार नदी में चुल्हन विगहा के समीप छलका का निर्माण और छिलका से पुरब और पश्चिम में पैन की खुदाई करवाने हेतु जनहित में सरकार से मांग करता हूॅ जिससे कि उस इलाके का लगभग 1 हजार एकड भूमि की सिंचाई हो सके ।

श्री विनय कुमारः अध्यक्ष महोदय, गया जिला के गुरारू सूर्य मंदिर से मंझार तक 11 कि0मी0 जाने वाली सड़क विगत एक वर्ष के अन्दर में एक करोड़ बीस लाख रू0 की राशि से जीर्णाद्धार कराया गया है जो जीर्ण-शीर्ण स्थिति में पहुंच चुकी है। उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी के विरूद्ध कार्रवाई की जाय।

श्री मनोज मंजिलः अध्यक्ष महोदय, कोईलवर भोजपुर स्थित प्रतिष्ठित तारामणि भगवान साव प्लस टू विद्यालय को सरकार तोड़कर रोड बना दी है जिसके कारण सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई तीन साल से बाधित है । अविलंब नये वर्ग भवन निर्माण की मांग करता हूॅ ।

श्री विद्या सागर केशरीः अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला सहित राज्य के सीमावर्त्ती जिलों में वर्त्तमान पंचायत चुनाव एवं आने वाले निकाय चुनाव में स्थानीय निकाय प्रतिनिधि एवं पदाधिकारियों - कर्मचारियों के सांठगांठ से एक खास वर्ग के विदेशी नागरिकों का मतदाता सूची में नाम जोड़कर चुनाव प्रभावित किये जा रहे हैं। ऐसे नामों को मतदाता सूची से विलोपित करने की मांग सदन से करते हैं।

श्री जय प्रकाश यादवः अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला में डी0ए0पी0 एवं अन्य खाद की कमी के कारण मक्का की बोआई प्रभावित हो रही है और खाद की कालाबजारी भी हो रही है। फलस्वरूप किसान ऊंचे दाम पर खाद खरीदने को विवश हैं । सरकार पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराकर किसानों की समस्या को दूर करे ।

श्री राम विशुन सिंहः अध्यक्ष महोदय,भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर प्रखंड के देवराढ़ गांव में सिकरिया राजवाहा पर क्षतिग्रस्त पुल का नवनिर्माण करावें।

अध्यक्षः धन्यवाद 14 शब्दों में।

श्री भूदेव चौधरीः अध्यक्ष महोदय,बांका जिलान्तर्गत धोरैया प्रखंड के ग्राम जोगडीहा ग्रामीण पथ काफी जर्जर है। आजादी के बाद कभी मरम्मति नहीं होना, वाहनों का परिचालन नहीं होना तथा राहगीरों को पैदल चलने में हो रही असुविधाओं की वजह से उक्त सड़क को जनहित में प्राथमिकता के आधार पर अविलंब निर्माण कराया जाय ।

श्री मुकेश कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, बिहार के सीतामढ़ी जिला में खाद बीज का घोर अभाव है । खासकर बाजपट्टी, नानपुर, बोखरा में कहीं खाद बीज नहीं मिल रहा है । किसान परेशान है, फसल बुआई का समय निकलता जा रहा है । जनहित में किसान शुभचिंतक सरकार से अविलम्ब खाद बीज आपूर्त्ति कराने की मांग करता हूॅ ।

श्री मो0 इसराईल मंसुरी: अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मड़वन प्रखंड के मड़वन एन0एच0 102 से कुढ़नी सीमान तक सड़क काफी जर्जर हो गया है । क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण नागरिकों को दुर्घटना से बचाव हेतु उक्त स्थलों पर यथाशीघ्र सड़क निर्माण कराया जाय ।

श्री निरंजन राय: अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गायघाट प्रखंड के भटगामा-मधुरपट्टी घाट, लदौर के रजूआ टोला घाट एवं बेनीबाद मार्केट के बागमती नदी के ऊपर पक्का पुल नहीं रहने से सालों भर आम नागरिकों को दुर्घटना से बचाव हेतु उक्त स्थलों पर जनहित में अविलंब आर0सी0सी0 पुल का निर्माण कराया जाय ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर कमलानदी में 19-11-2021 को पुर्णिमा स्नान के क्रम में पिंटू कुमार एवं प्रशांत कुमार पिठवाटोला की मृत्यु डूबने से हुई, पुलिस एवं प्रशासनिक विफलता से घटना घटी । जांचोपरांत समुचित कार्रवाई एवं मृतक के आश्रित को मुआवजा देने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री मुरारी मोहन झा: अध्यक्ष महोदय, विगत 10 वर्षों से संगीत विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होने के कारण बिहार के हजारों संगीत के छात्र छात्राएं इस क्षेत्र में रोजगार के लिए भटक रहे हैं । छात्र-छात्राओं के समस्याओं को देखते हुए संगीत विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने की कृपा करें ।

श्री गोपाल रविदास: अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत परसा(फुलवारीशरीफ) में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की मांग करता हूँ।

अध्यक्ष: धन्यवाद, 11 शब्दों में।

श्री अमरजीत कुशवाहा: अध्यक्ष महोदय, सिवान जिला में राशन कार्ड के लिए दिये गये आवेदन के योग्य लाभार्थियों का राशन कार्ड निर्गत करने तथा बंचित सभी गरीबों का राशनकार्ड अविलंब देने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष: अब ध्यानाकर्षण की सूचनाएं ली जायेगी ।

श्री सत्यदेव राम: अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष: ठीक है, आप पढ़ दीजिये । ध्यानाकर्षण सूचना के बाद समय शेष रहेगा तो शेष को भी पढ़वा देंगे ।

श्री सत्यदेव राम: अध्यक्ष महोदय, बिहार में पुलिस और अपराधियों द्वारा आम जनता और खासकर बंचित समुदाय के लोगों के ऊपर बर्बर हमले और हत्याएं आम बात हो गयी है । समस्तीपुर के हाजत में सफाई कर्मी राम सेवक राम, अररिया में महादलित चन्देश्वरी ऋषिदेव, सुपौल में भूमि आन्दोलन के नेता योगेन्द्र पासवान और मधुबनी में एक पत्रकार की हत्या सहित पूरे राज्य में ऐसे मामले में काफी बढ़ोत्तर हुई है। समस्तीपुर के नगर परिषद में कार्यरत मृतक राम सेवक राम सहित सफाई कर्मचारियों ने अपने

चार महीने के वेतन और पिछले 10 महीनों से पी0एफ0 जमा नहीं होने के खिलाफ 29 अक्टूबर को एक्सक्यूटिव अधिकारी के औफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया । (क्रमशः)

टर्न-9/मधुप/30.11.21

..क्रमशः..

श्री सत्यदेव राम : 31 अक्टूबर को एग्जीक्यूटिव के कहने पर पुलिस राम सेवक राम को उठाकर एग्जीक्यूटिव के चेम्बर में ले गई और वहाँ उनकी बुरी तरह से पिटाई की गई । पिटाई के कारण राम सेवक राम की स्थिति बिगड़ती गई । 3 नवम्बर को उन्हें पी0एम0सी0एच0, पटना लाया गया लेकिन 5 नवम्बर को उनका निधन हो गया । पोस्टमॉर्टम के बाद उनके मृत शरीर को एम्बुलेंस में डालकर पुलिस की गाड़ी के साथ रोसड़ा भेजा गया और पुलिस ने जबर्दस्ती उनका अंतिम संस्कार कर दिया ।

इसके बाद पुलिसिया दमन का एक और चक्र, जहाँ पीड़ित पक्ष के तीन महिलाओं और 4 पुरूषों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया । साथ-ही, 400 अज्ञात लोगों के उपर मुकदमा दर्ज कर दिया । इस पुलिसिया दमन और क्रूरता से रोसड़ा के सफाई कर्मचारियों और दलित समुदाय के लोगों में भय का माहौल व्याप्त है और लोग सरकार से न्याय की माँग कर रहे हैं जबकि आज तक एस0पी0, डी0एस0पी0, स्थानीय थाना प्रभारी और कार्यपालक अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है ।

अतः इस अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल पर सदन का कार्य स्थगित कर बहस कराने की माँग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद, अपनी सूचना को पढ़ें ।

(व्यवधान)

देखिये, आपके विषय को रख लिया गया । ध्यानाकर्षण बहुत महत्वपूर्ण है । सुदामा जी, आप पढ़िये । (व्यवधान) अब आप बैठ जाइये । आपका सुदामा जी क्यों इतना है.... आप बैठिये ।

श्री सत्यदेव राम : मुझे तो सरकार से जानना है कि दलितों को सुरक्षा नहीं मिल रही है । मैं इस सवाल पर माँग करता हूँ ।

अध्यक्ष : आप पढ़िये, सुदामा जी ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री सुदामा प्रसाद, सत्यदेव राम एवं अन्य दस सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री सुदामा प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार ने 15 फरवरी, 2022 तक 45 लाख मिट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है जबकि किसानों ने 90 लाख मिट्रिक टन से ज्यादा धान की रिकॉर्ड पैदावार की है । अभी कटनी शुरू हुई है और धान में नमी की मात्रा लगभग 22 प्रतिशत है, जबकि केंद्र सरकार ने धान खरीद में 19 प्रतिशत की अनिवार्यता तय की है ।

एक क्विंटल धान पैदा करने में किसानों का लगभग ढाई हजार रुपये खर्च होता है, जबकि केंद्र सरकार ने 1940-1960 रुपये धान का समर्थन मूल्य तय किया है। 80 प्रतिशत खेती बटाईदार किसान करते हैं, लेकिन पुनः इस साल बटाईदारों से धान खरीद के लिए जमीन का खाता-खेसरा मांगने की शर्त से धान नहीं खरीदने की मंशा जाहिर होती है, क्योंकि कोई भी भूस्वामी अपनी जमीन का खाता-खेसरा नहीं देते हैं ।

अतः लोकहित में धान खरीद में नमी और खाता-खेसरा की अनिवार्यता समाप्त करने, धान का समर्थन मूल्य 3000 रुपये प्रति क्विंटल करने, राज्य सरकार द्वारा धान खरीद पर प्रति क्विंटल 1000 रुपये बोनस देने तथा धान खरीद का समय 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाकर किसानों के संपूर्ण धान खरीदने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : स्थानांतरित है ।

अध्यक्ष महोदय, विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अन्तर्गत खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में राज्य के किसानों से धान अधिप्राप्ति का कार्यक्रम 01 नवम्बर, 2021 से चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ किया गया है तथा धान अधिप्राप्ति का सांकेतिक लक्ष्य 45 लाख मिट्रिक टन निर्धारित किया गया है । धान अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य सांकेतिक है इसलिए किसानों के द्वारा क्रय केन्द्रों पर रैयती एवं गैर रैयती किसानों के लिए निर्धारित मात्रा के अनुरूप धान की अधिप्राप्ति करा सकते हैं, जो इस क्षेत्र के वास्तविक उत्पादन से अधिक न हो ।

किसानों से धान अधिप्राप्ति हेतु अधिकतम नमी की मात्रा तथा अन्य विनिर्दिष्टयाँ भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है जिसका अनुपालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में धान में नमी की अधिकतम मात्रा 17 प्रतिशत निर्धारित की गई है । कृषि लागत मूल्य एवं

अन्य लागत खर्च के अवलोकन उपरान्त भारत सरकार सरकार के द्वारा क्रमशः खरीफ एवं रबी विपणन मौसमों में उत्पादित खाद्यानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर परिचारित किया जाता है । इसी क्रम में खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के लिए भारत सरकार के द्वारा धान साधारण का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रूपये प्रति क्विंटल तथा धान ग्रेड-ए का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1960 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित कर सूचित किया गया है ।

विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अन्तर्गत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नीति का निर्धारण किया जाता है । राज्यों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीतिगत निर्णय का अनुपालन किये जाने की बाध्यता होती है । भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में किसानों से धान अधिप्राप्ति पोर्टल में न्यूनतम अर्हताओं को शामिल कर केन्द्रीय अधिप्राप्ति पोर्टल से जोड़ने की अनिवार्य बाध्यता की शर्त रखी गई थी जिसके अनुपालन में किसानों की भूमि से संबंधित आंकड़ें राजस्व विभाग के पोर्टल से प्राप्त कर अधिप्राप्ति पोर्टल पर अपलोड किया जाना है । गैर रैयत किसानों के लिए खाता-खेसरा संबंधित आंकड़ों की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है ।

खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में राज्य के किसानों को आपात बिक्री की स्थिति से बचाने तथा बिचौलियों एवं व्यापारियों की अधिप्राप्ति कार्यक्रम में सहभागिता न हो, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम 01 नवम्बर, 2021 से 15 फरवरी, 2022 तक निर्धारित किया गया है ।

जहॉ तक धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रश्न है, यह भारत सरकार के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत आता है । खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार कल तक पूरे बिहार में 1 लाख 12 हजार मिट्रिक टन धान की खरीद हुई है । जो 17 प्रतिशत नमी की अनिवार्यता है, माननीया मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि किस जिले में, मैं तो समझता हूँ कि यह फर्जी धान खरीद हुई है, पहले के धान को इधर खरीद किया गया है । अभी 20 परसेंट से उपर धान में नमी है । मंत्री जी यह बतायें कि 1 लाख 12 हजार मिट्रिक टन यह जो धान की खरीद हुई है, किस जिले में कितनी धान की खरीद हुई है और उसमें नमी की मात्रा क्या है ?

दूसरा, मेरा पूरक प्रश्न यह है, यह जो बता रही हैं कि बटाईदार का खाता-खेसरा की बाध्यता नहीं है लेकिन इलाके से सब जगह लोग कह रहे हैं कि

खाता-खेसरा माँगा जा रहा है, बिना इसके रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है गैर रैयत किसानों का। क्या ये कोई निर्देश जारी करेंगी संबंधित विभाग के अपने अधिकारियों को ?

तीसरा पूरक प्रश्न है कि 2006 से, जब से बिहार में विपणन बाजार समितियों को भंग किया गया है, किसानों की दुर्दशा बढ़ गई है । कभी धान की खरीद नहीं हो रही है किसान से । अभी किसानों से नमी के आधार पर नहीं लिया जा रहा है ।

अध्यक्ष : आप पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री सुदामा प्रसाद : पूरक प्रश्न यह है कि मंत्री जी बतायें कि जो 2006 में भंग बाजार समितियाँ हैं, क्या सरकार उनको बहाल करने का फिर से विचार रखती है ? चौथा पूरक है कि एम0एस0पी0.....

अध्यक्ष : तीन ही पूरक पूछना है, तीन हो गया । बैठ जाइये ।
माननीया मंत्री जी ।

टर्न-10/आजाद/30.11.2021

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि अभी कल तक का जो रिपोर्ट है 116611 मे0टन धान की खरीद हुई है । अध्यक्ष महोदय, मैं इनको जिलावार आंकड़ा भेजवा दूँगी और जहां तक पोर्टल पर गैर-रैयत किसानों का उसमें जो अंकित किया जाता है जमीन का खाता, खेसरा इसमें अनिवार्यता खत्म कर दी गई है अध्यक्ष महोदय । इनको मालूम होना चाहिए ।

श्री महबूब आलम : महोदय, गरीब का सवाल है ।

अध्यक्ष : पहले सुन लीजिए माननीय मंत्री जी का जवाब । माननीय सदस्य महबूब जी, आप पुराने सदस्य हैं, अभी आप बैठ जाइए । जवाब पहले सुन लीजिए, आप धैर्य रखिए, इनकी बात सुनिए ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो गैर-रैयत किसान हैं, जो बटाईदार किसान हैं, उनका जो पोर्टल पर खाता, खेसरा अंकित करना था, उसको समाप्त कर दी गई है, यह ऑप्शनल है । अगर किसी रैयत किसान के पास खाता, खेसरा है तो वे अंकित कर सकते हैं, कोई किसानों को अगर कोई भ्रम है तो मैं फिर से सभी जिला में पैक्स है या व्यापार मंडल है, वहां तक संवाद अपने पदाधिकारी के माध्यम से भेजवा दूँगा और जिलावार चूँकि रोज आंकड़ा आता है, मैं माननीय सदस्य को आज ही भेजवा दूँगी । बाजार समिति का जो मामला है, बाजार समिति को तो खतम कर दिया गया है । पैक्सों के माध्यम से और व्यापार मंडल के माध्यम से धान की अधिप्राप्ति की जाती

है, इसमें कहीं भी किसी तरह का किसानों को कोई दिक्कत नहीं है । किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के निर्देश के आलोक में विभाग ने निर्णय लिया कि हमलोग किन्हीं न किन्हीं कारणवश दिसम्बर में अधिप्राप्ति शुरू कर पाते थे जो कि शाहाबाद के इलाके में दिसम्बर में कटाई हो पाती है । लेकिन कुछ इलाके हैं, उस इलाके में लास्ट अक्टूबर माह में धान की कटनी हो जाती है तो हमलोगों ने 1 नवम्बर से, फिर 10 नवम्बर से और फिर 15 नवम्बर से पूरे राज्य में चरणवद्ध तरीके से अधिप्राप्ति की शुरूआत की है ताकि जो हमारे छोटे किसान हैं, मंझोले किसान हैं, किसानों को बिचौलियों के माध्यम से औने-पौने भाव में धान की बिक्री न करना पड़े, सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार व्यवस्था किसानों के हित में यह करने का निर्णय लिया है ।

अध्यक्ष : आप सभी लोग बैठ जाइए । महबूब जी, पहले उठे हैं, आप लोग बैठ जाइए । बैठिए सुदामा जी, आपका तीन हो गया । सुदामा जी, अब आप बैठ जाइए ।

एक चीज का ध्यान रखिए माननीय सदस्य महबूब जी, नेता भी हैं, इसलिए इनका भी तो सम्मान कीजिए ।

श्री महबूब आलम : महोदय, मेरा यह कहना है कि .....

अध्यक्ष : सुन लीजिए महबूब साहेब, आपका इसमें साईन नहीं किये हैं ।

श्री महबूब आलम : लेकिन फिर भी सुना जाय महोदय ।

अध्यक्ष : इसमें आपका साईन नहीं है, इसीलिए आप बैठ जाइए, अजय जी को बोलने दीजिए ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, 1 नवम्बर से धान की खरीद की बात माननीय मंत्री जी के द्वारा कहा गया है । हम समझते हैं कि यह सत्य से परे है । इसीलिए कि हमलोग गांव में रहते हैं, क्षेत्र में घुमते रहते हैं । कहीं भी पैक्स के माध्यम से धान की खरीद समस्तीपुर जिले में तो कम से कम नहीं शुरू हुई है । जब शुरू नहीं हुई है तब धान के बारे 1 लाख टन से ज्यादा जो बताया कि खरीद हो चुकी है तो वह किससे खरीदा गया है .....

अध्यक्ष : वो तो डिटेल्स दे रही हैं ।

श्री अजय कुमार : महोदय, यह मामला गंभीर है । किसान का धान नहीं खरीद हो रहा है और किसान का धान समय पर नहीं खरीद होगा, आज किसान 900रू0 क्वींटल, 1000रू0 क्वींटल बेचने को मजबूर हैं....

अध्यक्ष : पूरक पर आईए ।

श्री अजय कुमार : इसीलिए मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप जो 1 नवम्बर से कहा कि धान की खरीद हो रही है तो आप जॉच कीजिए, जो पैक्स नहीं खरीद रहा है, क्या उसके ऊपर कार्रवाई कीजियेगा कि नहीं ?

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि .....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक बार सबका सुन लीजिए । माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र जी । पहले इनका है, उसके बाद आपको बुलायेंगे ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि धान अधिप्राप्ति का जो समय सीमा निर्धारण किया गया है, वो समय सीमा 15 फरवरी तक है और किसानों का जो धान है, जनवरी के बाद धान कटती है खेतों से, धान अधिप्राप्ति का हम चाहते हैं कि सरकार 15 मार्च तक अधिप्राप्ति का समय रखे और दूसरा यह है कि जो बटाईदार हैं और बटाईदार से जो खाता-खेसरा मांगा जाता है, कहने से नहीं होगा, इसके बारे में एक पत्र निकलवा दें, सरकार का एक पत्र निकल जाय कि बटाईदारों से खाता, खेसरा नहीं मांगा जाय और धान अधिप्राप्ति कराया जाय ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने जो देश भर में मंडियों को खतम करने का कानून था, उसको वापस ले लिया है और पूरे देश में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां मंडियों का खतम करने का कानून चल रहा है तो क्या सरकार बिहार के अन्दर भी ए0पी0एम0सी0 एक्ट को खतम करके मंडियों को पुनर्बहाल करना चाहती है ?

महोदय, धान की खरीददारी में जो अनियमतता है, वह इस कदर है कि एक केन्द्रीय कृषि मंत्रालय का रिपोर्ट है, उसके मुताबिक देश के 43 लाख 35 हजार ....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए, चूँकि समय बहुत कम है ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, मेरा पूरक है सिर्फ एक लाईन । 43 लाख 35 हजार 972 किसानों को गेहूँ में न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा मिला, इसमें बिहार के सिर्फ 1002 किसान शामिल थे । बिहार में पैक्स फैल्योर हो चुका है, अरवा, उसना के नाम पर, नमी के नाम पर किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है । इसलिए मंडियों को पुनर्बहाल करने का विचार क्या बिहार की सरकार केन्द्र सरकार के तर्ज पर यहां पर करना चाहती है ? इसका जवाब दिया जाय महोदय ।

अध्यक्ष : आप पहले बोलिए न ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, सवाल तो हो रहा है लेकिन जवाब उचित नहीं मिल रहा है । सुदामा जी हैं .....

अध्यक्ष : वो तो बोल चुके हैं, आप अपना बोलिए ।

श्री सत्येदव राम : महोदय, लेकिन उन्होंने जो सवाल किया माननीय मंत्री जी से कि 1 लाख कुछ हजार मे0टन धान की खरीद हुई, अधिप्राप्ति हुई तो उसमें नमी कितना था और किस जिले में कितना खरीदा गया, इस सवाल को दबा दिया गया ।

अध्यक्ष : इसका तो जवाब दे ही दिया गया सुदामा जी का, आपका पूरक क्या है ?

श्री सत्यदेव राम : यही पूरक है । उस सवाल का जवाब नहीं मिला ।

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइए, सुन लीजिए । माननीय मंत्री जी ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी पूरक प्रश्न करके माननीय सदस्य अजय जी ने कहा कि समस्तीपुर जिला में 1 नवम्बर से खरीद नहीं हो रही है तो हमने कहा है कि चरणवद्ध तरीके से, जिस जिले में धान की कटनी पहले होती है, वहां के लिए किया गया था । पूर्णिया प्रमंडल और कोशी प्रमंडल में धान की कटनी लास्ट अक्टूबर में होती है, इसीलिए इस प्रमंडल में 1 नवम्बर से शुरू किया गया, फिर 10 नवम्बर को तिरहुत प्रमंडल, मगध और सारण प्रमंडल में शुरू किया गया, फिर 15 नवम्बर से पूरे राज्य में चरणवद्ध तरीके से धान अधिप्राप्ति के लिए तिथि निर्धारित की गई तो हमने नहीं कहा कि 1 नवम्बर से समस्तीपुर या अन्य जिला में हुई है । दूसरी बात कि भाई वीरेन्द्र जी ने कहा कि सभी जगह पत्र चला जाना चाहिए, ये तो पोर्टल पर ही लोड करेंगे, कृषि विभाग का पोर्टल है, जो किसान धान बेचेंगे, उनको पोर्टल पर लोड करना पड़ता है, चूँकि भारत सरकार का ही गाईडलाईन है । इसलिए पोर्टल पर लोड करते समय में ही ऑप्शनल रहता है कि जो गैर-रैयत किसान हैं, बटाईदार किसान हैं, अगर उनके पास खाता, खेसरा है तो दे सकते हैं अगर नहीं है तो वह ऑप्शनल है । यह अनिवार्यता नहीं है, इसको खत्म कर दी गई है । दूसरी बात कि आपके द्वारा हुआ कि सभी जगह पत्र चला जाना चाहिए तो मैं सभी जगह भेजवा दूँगी विशेष रूप से आपके कहने पर, फिर समय सीमा बढ़ाने की बात है या नमी की मात्रा की बात है, यह भारत सरकार तय करती है, लक्ष्य भी भारत सरकार तय करती है, नमी की मात्रा भी भारत सरकार तय करती है । हां, समय-समय पर हमलोगों की अगर अधिप्राप्ति किसानों की संख्या अधिक होती है बेचने वालों की तो हमलोग इसका समय-समय पर लक्ष्य बढ़ाने का भी अनुरोध करते हैं भारत सरकार से और नमी की मात्रा भारत सरकार द्वारा और कम कर दी गई थी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभागीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से बात की, हमने पत्राचार की तो फिर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बात की तो फिर इसको 17 प्रतिशत रखा गया । यह भारत सरकार तय करती है और जहां तक एक अन्य माननीय सदस्य ने कहा कि बाजार समिति को बहाल किया जाय, बाजार समिति तो समाप्त हो चुका है और यह हमारे विभाग से भी संबंधित नहीं है, यह कृषि विभाग से संबंधित है । नमी की मात्रा के संबंध में सुदामा जी ने कहा, नमी की मात्रा भारत सरकार तय करती है, उनको गाईडलाईन के मुताबिक हमलोग अधिप्राप्ति करते हैं ।

टर्न-11/शंभु/30.11.21

श्री सत्यदेव राम : कितने नमी पर अधिप्राप्ति हो रही है ?

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : 17 प्रतिशत पर ।

अध्यक्ष : श्री अरूण कुमार सिन्हा जी, अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा एवं श्री राणा रणधीर, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : महोदय, बड़हिया-मोकामा टाल क्षेत्र दलहन उत्पादक क्षेत्र है । बाढ़ तथा बरसात का पानी इस क्षेत्र में जमा होने के बाद तीन-चार वर्ष पहले तक रबी बुआई के पूर्व निकल जाता था, लेकिन इस टाल क्षेत्र में गाद जमा होने के कारण पिछले तीन चार वर्षों से रबी फसल की बुआई के पूर्व पानी नहीं निकलने के कारण लगभग 30,000 हेक्टेयर जमीन में दलहन की बुआई नहीं हो पा रही है, जिससे इस क्षेत्र के हजारों लघु तथा सीमांत किसानों और उनके परिवार को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है और उनकी आजीविका का संकट उत्पन्न हो रहा है । टाल क्षेत्र में जल निकासी के नाम पर हर वर्ष करोड़ों रूपये खर्च होने के बावजूद सही नीति नहीं रहने के कारण समस्या त्यों की त्यों बनी रह गयी है ।

अतः लोकहित में बड़हिया-मोकामा टाल क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष जमा होने वाले बाढ़ और बरसात के पानी को रबी फसल की बुआई के पूर्व हाथीदह के समीप गंगा नदी में निकालने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मोकामा बड़हिया सहित संपूर्ण टाल क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 1 लाख 6 हजार 2 सौ हेक्टेयर में मौनसून अवधि में वर्षा का पानी दक्षिण बिहार के नदियों का जल एवं गंगा नदी के बाढ़ का पानी जो बैक वाटर टाल क्षेत्र में भर जाता है । टाल क्षेत्र की जल की निकासी हेतु एक मात्र मार्ग हरोहर नदी है । मौनसून के बाद गंगा के जल स्तर में कमी होने पर टाल का पानी हरोहर नदी के माध्यम से क्यूल नदी होते हुए गंगा में जाता है । टाल से पानी शीघ्र निकालने हेतु हरोहर नदी एवं क्यूल नदी के संगम पर प्रत्येक वर्ष ड्रेजिंग कराया जाता है । बरसात के दिनों में गंगा नदी के बाढ़ का पानी एवं दक्षिण पश्चिमी से आनेवाली नदियों के पानी से टाल क्षेत्र सामान्यतः डूबा रहता है । इस कारण टाल क्षेत्र के अधिकांश भूभाग में खरीफ की खेती नहीं हो पाती है, परन्तु रबी की बुआई के पूर्व ससमय जल निकासी हो जाने के पश्चात् टाल क्षेत्र में चना, मसूर, मटर, अरहर इत्यादि दलहनों की अच्छी पैदावार होती है । टाल क्षेत्र में गंगा के बैकवाटर को प्रवेश से रोकने, जल प्रवाह को नियंत्रित करने एवं बेहतर जल प्रबंधन के लिए बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत 188.50 करोड़ रूपये लागत से कई योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है । जिसमें हरोहर नदी में लखीसराय जिला के लखीसराय प्रखंड के अन्तर्गत बालगुदर ग्राम

के पास एन्टी फ्लड स्लुइस-सह-रेगुलेटर का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं डोमना सोता, खनुआ सोता, गायघाट सोता एवं लंगरी सोता में एन्टी फ्लड स्लुइस का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और जो एक बालगुदर वाला बचा हुआ है । उसमें थोड़ा लैंड इक्वीजिशन का इशू था वह पैसा 9 करोड़ चला गया है । इस बार मौनसून सीजन से पहले उसका स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट हो जायेगा और उसके बाद गेट लग जायेगा बालगुदर में तो यह काम पूरा हो जायेगा मौनसून से पहले । इसके अलावा दिनांक 08.09.2020 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में 1178.50 करोड़ रूपये की लागत से परियोजना स्वीकृत की गयी जिसके अन्तर्गत निम्नांकित कार्य कराये जायेंगे । पहला मुहाने गोइठवा एवं जिरैन नदी पर तीन बराज का निर्माण, दूसरा विभिन्न स्थलों पर कुल 11 बीयर का निर्माण, तीसरा विभिन्न स्थलों पर कुल 56 चेकडैम का निर्माण, टाल क्षेत्र के अन्तर्गत 74 अदद पैनों का तल सफाई कार्य के साथ 225 अदद कल्वर्ट का निर्माण कार्य । पटना जिलान्तर्गत बाढ़ सरमेरा रोड, पूरनबीघा कोन्दी से घोसवरी होते हुए हरोहर नदी के बायें किनारे बालगुदर घाट तक बांध एवं एन्टी फ्लड स्लुइस का निर्माण । छठा अशोक धाम लखीसराय जिला से होते हुए सरमेरा तक बांध का निर्माण कार्य साथ में उसके उपर सड़क निर्माण कार्य उपरोक्त निर्माण कार्यों से टाल क्षेत्र में नियंत्रित रूप से ही इसमें जल प्रवेश होगा और जल निकासी भी शीघ्रता से हो सकेगी । इस वर्ष हरोहर और क्यूल नदी के मुहाने पर गाद हटाने हेतु बाढ़ अवधि के बाद लगातार ड्रेजिंग कराने के कारण टाल क्षेत्र के अधिकांश भूभाग से जल की निकासी हो चुकी है । कुछ गहरे भूभाग में आंशिक रूप से जल जमाव है जिसका उपयोग कृषकों द्वारा सिंचाई हेतु किया जाता है । वर्ष 1972 से 2017 तक 40 वर्षों के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 15 अक्टूबर तक सामान्यतः गंगा नदी का जल स्तर टाल क्षेत्र के न्यूनतम बेड लेवेल से भी अधिक पाया गया । वर्तमान में गंगा नदी का जल स्तर हाथीदह गेज स्थल पर 36.69 मी0 है तथा टाल क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्रों से जल की निकासी हो चुकी है । उक्त क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं तथा रेलवे लाइन एन0एच0 निर्माणाधीन गंगा सेतु एवं घनी आबादी के कारण हाथीदह के पास से टाल का पानी चैनल बनाकर निकालना तकनीकी दृष्टि से संभव नहीं है । विभाग का मानना है कि ये गंगा नदी का बैकवाटर दुबारा चला जायेगा वहां पर लेकिन, ये जो स्कीम हमलोगों ने मुख्यमंत्री जी पर्सनली इसमें जो मोकामा टाल का ये था उसको मोनीटर किया । वहां के कृषक समितियों से, किसानों से लगातार तीन साल तक बात होता रहा और उनके भी जो सुझाव आये उसके बैकग्राउंड में फिर ये स्कीम बनाया गया और लगभग ये टेंडर भी फायनल हो गया जल्दी इसमें काम शुरू हो जायेगा ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, बड़े विस्तार से माननीय मंत्री जी ने कहा कि क्या सरकार द्वारा किया जा रहा है लेकिन मेरा पूरक यह है कि मोकामा बड़हिया टाल क्षेत्र में चार साल से बुआई नहीं हो रही है । यह बात सरकार के संज्ञान में कब आई और यह चार साल तक बुआई नहीं रहने के कारण किसानों को जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति के विषय में क्या कुछ पॉजिटिव विचार सरकार रखती है ? उसके लिए कोई कार्यक्रम बनायी है कि उसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाय और हवाई सर्वेक्षण कराकर जो योजना आपने बताया है तो इस विषय पर मुझे यह कहना है कि मोकामा बड़हिया टाल क्षेत्र का तो है ही, लेकिन इस तरह के जल जमावग्रस्त राज्य में लाखों हेक्टेयर जमीन है । मोकामा बड़हिया टाल क्षेत्र सहित सभी जल जमावग्रस्त कृषि भूमि को जल जमाव से मुक्त कराने हेतु सदन कोई विशेष समिति का गठन करे ताकि मोकामा बड़हिया टाल सहित अन्य जल जमाव क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन कर और जल्दी से जल्दी चार पांच साल हो गया, अभी कितना समय, कोई समय सीमा निर्धारित करेगी कि कब तक ये कठिनाई दूर हो पायेगी ?

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बताया कि ये तीन साल तक लोगों से कन्सल्टेशन होता रहा वहीं पर और ये स्कीम स्वीकृत हो गया 2020 में टेंडर हो गया है, इसपर काम शुरू हो जायेगा और हमलोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री जी भी खुद मोनीटर करते रहे हैं, हमलोग जानते हैं और ये ससमय पूरा हो जायेगा । मैंने बालगुदर घाट का बताया उसका बचा हुआ है ।

अध्यक्ष : इन्होंने जो पूरक प्रश्न उठाया कि जो क्षति हुई और तीन चार से बुआई नहीं हो रही है ।

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : महोदय, ये क्षति तो जल संसाधन से नहीं यह कृषि और आपदा से उसका कुछ हो सकता है ।

श्री राणा रणधीर : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को टाल क्षेत्र से जल जमाव की समस्या दूर करने के लिए जो सरकार ने 1178 करोड़ रूपये की योजना बनायी है यह सकारात्मक जवाब आया इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, लेकिन कुछ एक चीज जोड़ना चाहता हूँ । हमारा राज्य और देश दोनों कृषि प्रधान है और प्रश्न है कि किसानों को तीन चार वर्षों से बुआई नहीं हुई तो मुआवजा एक विषय है और दूसरा एक समय सीमा- मंत्री जी बता रहे हैं टेंडर के प्रोसेस में है तो यह किसानों से जुड़ा मामला है ।

क्रमशः

टर्न-12/पुलकित/30.11.2021

(क्रमशः)

श्री राणा रणधीर : देश में खेती के योग्य जमीन कम पड़ रही है, आवासीय भूमि पड़ रही है और टाल का क्षेत्र एक फसली उत्पादन का क्षेत्र है । केवल दलहन फसल उत्पादन होती है

और तीन-चार वर्षों से उत्पादन नहीं है तो किसानों को मुआवजा और समय-सीमा मैं उसके साथ जोड़ता हूं कि कब तक हो जायेगा तो किसान भाइयों को जवाब देना सरल हो जायेगा । सरकार यथा शीघ्र अगर पूरा करेगी तो इसके लिए भी महोदय हम मंत्री जी को बधाई देंगे ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : बिलकुल । अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि जो छह योजना है उसमें पांच का टेंडर फाइनल होकर के वर्क एलॉट हो गया और एक फाइनल होने की स्थिति में है तो ससमय यह काम पूरा कर लिया जायेगा । मुझे विश्वास है कि इस स्कीम के लागू होने के बाद ....

श्री राणा रणधीर : सरकार ने कोई लक्ष्य रखा है कब तक उसको ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : नहीं, जो भी उसका समय होगा 18 महीना या 22 महीना जो भी उसका टाइम फ्रेम होगा । अभी तो टेंडर फाइनल होकर के छह काम में से पांच काम एलॉट हो गया है । एक काम का टेंडर शायद दोबारा करना पड़ रहा है वह भी जल्दी फाइनल हो जायेगा तब काम पूरा हो जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, हम भी उसी क्षेत्र से आते हैं और मैं खुद वहां का प्रतिनिधि हूं और सारे लोग इस गंभीरता से अवगत कराते हैं कि समस्या अत्यंत गंभीर है । जल के निस्सरण नहीं होने के कारण हजारों लघु सीमांत किसानों के सामने जो भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो रही है । यह चौथा वर्ष है एक मात्र फसल उपजती है जिसपर उसकी निर्भरता है आप जिस बालगुदर की चर्चा किये वह चार साल पहले शुरू हुआ, उसको दो साल पहले पूरा होना था लेकिन चार साल में भी पूरा नहीं हुआ । कारण क्या रहा यह समीक्षा की जरूरत है । जल संसाधन विभाग एक ठोस कार्य योजना बनाकर बड़हिया-मोकामा टाल क्षेत्र की समस्या को दूर करने की शीघ्र व्यवस्था करे। बिहार विधान सभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को यह विषय सौंपा जाता है । समिति इस कार्य का पर्यवेक्षण करेगी और अगले सत्र में इस संबंध में किये गये कार्य से सदन को प्रतिवेदन, अंतरिम प्रतिवेदन के माध्यम से सूचित करेगी ।

माननीय सदस्यगण, अब समय मात्र पांच मिनट बचा है तो शून्यकाल की शेष सूचनाओं को पढ़ा हुआ मानते हुए शून्यकाल समिति को भेज दिया जाय ।

अब सभा की कार्यवाही .....

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : अध्यक्ष महोदय .....

अध्यक्ष : क्या है ?

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : अध्यक्ष महोदय, 25 नवम्बर को पटना जिलांतर्गत फुलवारी थाना क्षेत्र में भू-माफिया द्वारा डॉ0 धर्मेन्द्र कुमार जी को गोली मार दी गयी थी और इसके बाद पुलिस उसको खूब परेशान कर रही है ।

अध्यक्ष : शून्यकाल में डाले हैं ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, शून्यकाल के माध्यम से ही कह रहे हैं । उनको गोली मार दी गई थी और भू माफिया के द्वारा धमकी दी जा रही है । हम चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच कराकर भू माफिया पर कार्रवाई करें ।

(पढ़ी गयी शून्यकाल सूचनाएं)

श्री रणविजय साहू : महोदय, समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखण्ड अंतर्गत विगत एक माह में अज्ञात बीमारी से पशुपालक किसानों के लगभग 50 मवेशियों की मौत हो गयी हैं। पीड़ित किसानों के पशुओं की समुचित इलाज एवं मुआवजा की मांग करता हूं ।

श्रीमती मंजू अग्रवाल : महोदय, 2021 पंचायत आम चुनाव में कार्यरत रिजर्व चुनाव कर्मियों को उनका मानदेय देने का प्रावधान है, तो गया जिले में सभी रिजर्व चुनाव कर्मियों को अभी तक उनके योगदान हेतु उन्हें मानदेय नहीं मिला है ।

अत: उन्हें उनका मेहनताना देने का कष्ट करें ।

श्री युसुफ सलाहउद्दीन : अध्यक्ष महोदय, सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर के कठडुमर घाट एवं सलखुआ प्रखंड के डेंगराही घाट में पुल निर्माण की मांग वर्षों से की जा रही है । आजादी के इतने वर्षों बाद भी इन क्षेत्रों के लोगों के यातायात से संबंधित समस्याओं का निराकरण नहीं होना खेदजनक है ।

अत: सरकार से जनहित में उक्त घाटों पर पुल का निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री इजहारूल हुसैन : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला के किशनगंज प्रखण्ड एवं अंचल कार्यालय भवन का निर्माण नहीं होने से वर्तमान में प्रखण्ड कार्यालय कृषि भवन में एवं अंचल कार्यालय अभिलेखागार भवन में चल रहा है ।

अत: किशनगंज प्रखण्ड कार्यालय एवं किशनगंज अंचल कार्यालय के भवनों के निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री ऋषि कुमार : महोदय, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी पत्रांक- 910, दिनांक- 02.07.2018 के द्वारा संविदा पर कार्यपालक सहायक के पद पर आवेदन लिया गया था इसमें लगभग 50 प्रतिशत की बहाली हुई ।

अत: में शेष पदों पर अनियोजित कार्यपालकों को नियोजन के लिए सरकार से मांग करता हूं ।

श्री महबूब आलम : महोदय, समस्तीपुर जिलान्तर्गत आधारपुर पंचायत में 21 जून, 2021 को एक शिक्षिका सनोवर खातून, पति मो0 हसनैन एवं मो0 अनवर की मॉब लिंचिंग में हत्या हुई थी । दोनों मृतक के परिवारों को दस-दस लाख रुपये मुआवजे की मांग करता हूं।

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : महोदय, समस्त सीमांचल सहित मेरे विधान सभा क्षेत्र 52 बहादुरगंज में असमय आए विनाशकारी बाढ़ से हजारों किसानों का तैयार धान तथा सब्जी की खेती को भारी नुकसान हुआ है । गरीब किसान सरकार से अनुदान के लिए आस लगाए बैठी है ।

अत: मैं कृषि मंत्री से मांग करता हूं कि क्षति का आकलन कराते हुए इन्हें क्षतिपूर्ति अनुदान दिया जाय ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला के बिहटा में 22 नवम्बर को ददन पासवान पर जानलेवा हमलाकर घायल करने वाले अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करता हूं।

श्री अजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुंगेर जिला सहित पूरे बिहार राज्य में सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति दिनांक 31.03.2022 तक करने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं ।

डॉ0 रामचन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के वित्त रहित संबंद्ध महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा एवं मदरसा बोर्ड की तरह घटानुदान देने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिलान्तर्गत प्रखंड अमौर एवं बैसा में खाद की किल्लत होने के कारण किसानों को रबी फसल की बुआई में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।

अत: मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि किसानों को ससमय खाद उपलब्ध करवायें ताकि किसान उचित समय पर फसल की बुआई कर सके ।

श्री पवन कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत तिनटंगा इलाका टपुआ, रानी दियारा, एकचारी दियारा, दयालपुर, तौफिल, अंठावन, इंग्लिश ममलखा, इलाकों में भीषण गंगा कटाव के कारण अनेकों घर, गंगा में समा चुके हैं एवं सैकड़ों लोक विस्थापित हो चुके हैं कटाव के स्थाई निदान हेतु कार्य कराने की मांग करता हूं ।

श्री भीम कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला अन्तर्गत गोह प्रखण्ड के गोह बाजार स्थित प्राचीन पोखरा का जीर्णोद्धार तथा सौन्दर्यीकरण कराये जाने की मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग एवं पथ निर्माण विभागों में जो निविदा निकाली जाती है उसे 10 दिनों के अंदर खोलने की मांग करती हूं ताकि किसी भी व्यक्ति के द्वारा मैनेज नहीं किया जा सके ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–13/अभिनीत/30.11.2021

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, एक सूचना हम आपको देना चाहेंगे और यह सदन में भी बताना चाहेंगे । तारांकित प्रश्न के बाद जब हम अपने चेम्बर में गये तो कुछ मीडिया द्वारा हमको फोन आया कि विधान सभा के कैंपस में शराब की कई बोतलें मिली हैं । महोदय, हम खुद जाकर देख कर आये हैं कई बोतलें वहां मौजूद हैं ।

अध्यक्ष : विधान सभा में ? विधान सभा में तो हमलोग बैठे हुए हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : विधान सभा के कैंपस में महोदय । अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले ही एक समीक्षात्मक बैठक होती है और समीक्षा बैठक के ठीक बाद जहां से मुख्यमंत्री जी का चेम्बर 50 मीटर दूर है वहां शराब की बोतलें पायी जाती हैं । यह पूरे तरीके से जो रियल पिक्चर शराबबंदी का है, जिस बात को हमलोग मजबूती से उठाते रहे हैं और इतनी सुरक्षा घेरा के बाद, जिस सुरक्षा घेरा में कई किलोमीटर तक आना–जाना बंद कर दिया जाता है, जब मुख्यमंत्री जी मौजूद रहते हैं महोदय और मुख्यमंत्री जी के मात्र 50 मीटर की दूरी पर शराब की बोतल मिलती है विधान सभा कैंपस में । बगल में पुलिस मुख्यालय है, बगल में डी.जी.पी बैठते हैं...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, पूरी बात खत्म हो जाय, गंभीर मसला है महोदय ।

अध्यक्ष : यह अलग विषय है...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : लोगों ने शपथ लिया था महोदय यहां । कुछ दिन पहले भी शपथ कई अधिकारियों को...

अध्यक्ष : अब विधायी कार्य लिए जायेंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा मसला है । विधान सभा के कैंपस में अगर शराब मौजूद है तो मुख्यमंत्री जी को उस पद पर रहने की नैतिक जिम्मेवारी एकदम नहीं है महोदय...

अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय होम मिनिस्टर भी हैं और पुलिस की जवाबदेही, मान लीजिए पटना विधान सभा आने में कितना बोर्डर होता है, चार–पांच जिला क्रॉस करके आया होगा महोदय ।

अध्यक्ष : आपका सुझाव कुछ है ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : सुझाव है कि सरकार को, मुख्यमंत्रीजी को, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी को...

अध्यक्ष : सुझाव ? सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाय यही न ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : नहीं, सुनिये अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : विधान सभा की सुरक्षा व्यवस्था कल से और कड़ी रहेगी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, बिहार के गृह मंत्री सो रहे हैं क्या ? बिहार के गृह मंत्री सो रहे हैं...

अध्यक्ष : अभी थोड़ा, संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लीजिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : नहीं-नहीं, यह बड़ा मसला है, सुनते रहेंगे, हमलोग कहीं हिलेंगे नहीं । आपका विधेयक भी है और हमलोग आपको सहयोग भी करेंगे...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : बहुत धन्यवाद ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : लेकिन इसमें हमलोगों को सहयोग कीजिए...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : बिल्कुल ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : ये शराब की बोतल कैसे घुसी, कौन है जिम्मेवार इस पर कार्रवाई होनी चाहिये...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : गृह मंत्री को तो आकर महोदय, यही गंभीरता दिखाती है महोदय मुख्यमंत्री जी तनिक झांकने तक नहीं गये । बाद में बोलेंगे की पेप्सी और कोका-कोला की बोतल थी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : चले जाते, चेम्बर में ही न बैठे हुए थे ।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष की जागरूकता सरकार को सतर्क करती है । आप जागरूक हैं...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : जवाब सुन लीजिए ।

(व्यवधान)

अब सुन लीजिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : सारा पावर सेंट्रलाइज है...

अध्यक्ष : अब सुन लीजिए । बैठ जाइये, अब सुन लीजिए । नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष शराबबंदी कानून को सफल बनाने में इतने सजग हैं इसके लिए हम सरकार की तरफ से धन्यवाद देते हैं..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब सुन लीजिए । नेता प्रतिपक्ष का सुने तो आप सरकार की ओर से भी सुनिएगा न ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आपकी बात हम कितनी गंभीरता से सुन रहे थे...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: सुन लीजिए...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आपलोगों को इन पर भरोसा नहीं है...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : मंत्री जी, हमलोग भी जानते हैं आप कितना कर सकते हैं, यह आपके हाथ का मामला नहीं है...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : हमलोग भी सदन के नेता हैं, विधान सभा के कैंपस में भी हैं, वो मुख्यमंत्री भी हैं, गृह मंत्री हैं और अपनी जिम्मेदारी से गायब हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब सुन लीजिए । गंभीरता से, एक चीज बता दें माननीय सदस्य, नेता प्रतिपक्ष और सदन नेता या सरकार की ओर से बोला जाता है तो ध्यान से सुनिए, कुछ सीखिए । देखिए, नेता प्रतिपक्ष कितने गंभीर हैं शराब के मसले पर और सरकार उत्तर दे रही है तो ध्यान से सुनिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए जो समीक्षा बैठक की गयी थी उसका हवाला दिया है और उस बैठक की सफलता आज पूरा बिहार महसूस कर रहा है जब कई जगहों से शराब की बोतलें बरामद हो रही हैं और शराब माफिया पकड़ कर अंदर भेजे जा रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, आज पूरा बिहार महसूस कर रहा है और हम सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्रीजी ने भी कहा है हम सभी माननीय सदस्यों को आमंत्रित करना चाहते हैं । सरकार ने मोबाईल नम्बर जारी किया है, आप व्यक्तिगत रूप से, अगर आपको सूचना है, दो में से एक ही काम करिए, या तो यह कहिए कि शराब बिक रही है तो कहां बिक रही है और अगर आपको मालूम नहीं है कहां बिक रही है तो यह मत बोलिए कि शराब बिक रही है । महोदय, इसलिए हम...

(व्यवधान)

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : बैठ जाइये । इनका हो जाने दीजिए । बैठ जाइये अरूण बाबू ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हम सभी माननीय सदस्यों को जानकारी ही नहीं दे रहे हैं हम यह बता रहे हैं कि सरकार उपकृत महसूस करेगी, अगर शराब कोई बेच रहा है, शराब कोई पी रहा है, शराब का कोई व्यापार कर रहा है उसकी सूचना अगर सरकार को

देते हैं तो सरकार उपकृत महसूस करेगी । महोदय, जहां तक नेता प्रतिपक्ष ने यहां कहीं, हमने तो नहीं देखा है न समाचार सुना है लेकिन ये कह रहे हैं तो जहां कहीं से भी निकला है, जो जगह ये बतला रहे हैं वो विधान सभा परिसर की बात है, वह अध्यक्ष और इस आसन के विशेषाधिकार का क्षेत्र है । मैं सरकार की तरफ से...

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आप पूरी बात सुन लीजिए न, हम दूसरी बात कह रहे हैं । हम यह कह रहे हैं कि इस कैंपस में, आप सरकार से जिस रूप में इस घटना की जांच कराना चाहते हैं, जिस स्तर की जांच कराना चाहते हैं आपकी इजाजत से सरकार कराने को हर समय तैयार है । आपके आदेश की जरूरत है सरकार हर स्तर की जांच करायेगी और जो भी दोषी होंगे उनको कानून के हवाले करेगी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, सबलोगों ने मंत्री जी की बात को सुना और जहां तक मंत्री जी की बातों से ऐसा एहसास हो रहा था कि क्या और बोलें जिससे मामला टले । अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : अब विधायी कार्य शुरू करवाइये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : नहीं, अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर...

अध्यक्ष : दो लाइन में, संक्षेप में बोलिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, ये विधान सभा में आ रहा है यानी This is totally failure of Nitish Kumar Ji because गृह मंत्री वो, मुख्यमंत्री वो...

अध्यक्ष : सावधान आप रहिए आपके यहां भी कहीं न निकल जाए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष : कोई दिक्कत नहीं..

अध्यक्ष : देखिए, ऐसे लोग हैं जो बदनाम करने का काम करते हैं...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, साँच को आँच नहीं...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, ऐसे फिर चलेगा तो...

अध्यक्ष : चलिए, दो मिनट में समाप्त कीजिए । बहुत लंबा, इस विषय को अलग से रखिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, आसन का हमलोग सम्मान करते हैं । अभी तो यहीं से निकला है, कहां से निकलेगा वो अलग बात है लेकिन अभी तो यहीं से निकला है....

अध्यक्ष : अब हो गया, इसकी जांच हमलोग करवा लेते हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : कोई गंभीर नहीं है । क्या जांच होगी ? इस पर क्या जांच होगी ? किस पर होगी कार्रवाई – सिपाही पर, निलंबित कीजिएगा सिपाही को और डी0जी0पी0 और मंत्री लोग को ? भाई को बचाइयेगा, किसी पर कार्रवाई नहीं कीजिएगा..

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : छोटी मछली को आप मारिएगा । बेचारा...

अध्यक्ष : बड़ी मछली की जानकारी है तो दे दीजिए । सरकार गंभीरता से लेगी...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : दी गयी तो कोई कार्रवाई नहीं । यह अद्‌भुत है बिहार विधान सभा में मिलता है नेता प्रतिपक्ष को जानकारी है और सब सोए हुए हैं ।

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये । सभी माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये अब आपलोग आसन के आदेश को मानें । बैठ जाइये ।

टर्न-14/धिरेन्द्र/30.11.2021

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता जवाब दें ।

अध्यक्ष : आप लोग जबतक नहीं बैठेंगे, बैठ जाइये पहले ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, आश्वस्त कीजिये...

अध्यक्ष : चलिये फेल और पास तो जनता करती है, आसन का पहले आदेश तो स्वीकार कीजिये । बैठ जाइये, बैठ जाइये सब लोग । माननीय सदस्य, सदन विमर्श की जगह है, गंभीरता से विषय को रखने की जगह है और मुझे आज खुशी हो रही है कि यही सदन था और हम प्रतिपक्ष में बैठे थे और आप सब सत्ता में बैठे थे । इन सारे विषयों पर हमने कई संशोधन प्रस्ताव लाया था । मैंने कहा था यही विषय कि कल कोई खाली बोतल आपके

घर के निकट रख देगा तो सदस्य की सम्मान, प्रतिष्ठा समाज में क्या रहेगी । आप सत्ता में बैठे थे और आप सबलोग इस विषय को गंभीरता से लिये होते तो आज आप विपक्ष में बैठे हैं यह प्रश्न उठाने की जरूरत आपको महसूस नहीं होती । लेकिन...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : नहीं अब सुन लीजिये, नेता प्रतिपक्ष अभी भी मौका है कि विषय को, किसी को, अगर हमलोग मिलकर संकल्प लिये हैं और निर्णय लिये हैं तो इसमें कोई कमी या खामी है तो हमलोग गंभीरता से इसको मूर्त रूप कैसे दें और बेहतर आगे कैसे करें । शांति से अभी विधेयक है इसको कर लें, विधायी कार्य होने दीजिये, इस पर आपस में आपलोग तय करेंगे फिर हमलोग विचार कर लेंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, विधायी कार्य होगा, हमलोग समर्थन करेंगे...

अध्यक्ष : विधेयक शुरू हो गया है । प्रभारी मंत्री । संसदीय कार्य मंत्री ।

अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय, हम सिर्फ....

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, मस्ती से बैठिये, आपलोग जितना बोलते हैं उसको सुनते ही हैं हमलोग, और कोई आप लोगों को रोक सकता है, हमलोगों को तो रोका जाता है...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आपकी हमलोग नहीं सुनते हैं...

अध्यक्ष : पहले आप ही का सुना गया है, आप ही को मौका दिये हैं....

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, नये-नये लोगों का, नौजवानों का भी थोड़ा बहुत सुन लीजिये । हमलोग तो आप ही लोगों का सुन कर बड़े हुए हैं....

अध्यक्ष : देखिए, सदन नौजवान और नये लोगों को मौका भी देती है, अब जरा सुन लीजिये उनका.

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : शॉर्ट में, एक मिनट में समाप्त कीजिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आपने जिसका जिक्र किया, हमलोग पूरी तरह से सरकार में थे उस समय, हमलोगों के रहते हुए में लागू हुआ, यह बात सच है लेकिन मैच शुरू हुआ इस पर चर्चा हो रही है कि मैच में क्या हुआ, क्यों हार हो रही है, क्यों फेलियर हो रहा है, मैच के टाईम तो हमलोग थे नहीं, जब इम्प्लीमेंट करना था इस दारू, शराब को....

अध्यक्ष : तो मैच जीतने के लिए सुझाव दीजिये न....

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, पूरी बात को गंभीरता से समझना चाहिए।

अध्यक्ष : ठीक है, बताइये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आज 65 लोग डेली शराब से मारे जाते हैं, सरकार के लोग अफसोस तक नहीं करते हैं....

अध्यक्ष : आज विधायी कार्य है...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, अब बिहार विधान सभा में मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में मात्र 50 से 100 मीटर दूर शराब की बोतल मिलती है और आप कह रहे हैं कि बड़ा मसला नहीं है । महोदय, यहां कल ही शपथ लिया गया है, कई अधिकारियों को, कुछ दिन पहले सभी लोगों को शपथ दिलाया गया, कई मंत्रियों को दिलाया गया.....

अध्यक्ष : सारे सदस्य शपथ लिये थे....

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, और शराबबंदी ही केवल मकसद नहीं था, नशा-मुक्ति पूरा अभियान था । हम तो जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, शराबबंदी तो छोड़िये होम-डिलीवरी होता है यह सब को पता है, जानकारी क्या देना है लेकिन नशा-मुक्ति के लिए सरकार ने क्या किया.....

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, अब हो गया दो मिनट, अब हो गया है, माननीय मंत्री, संसदीय कार्य ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, नेता सदन हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, अब बताइये पूरे हाउस में....

अध्यक्ष : आप ही दोनों को शांति से सदन चलाना है । बैठ जाइये न ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन और गृह विभाग का हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं, कई सेशन से आ नहीं रहा है और आज इतना बड़ा हादसा हुआ है तो आज मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं तो सवाल न पूछें महोदय ।

अध्यक्ष : आपलोग चिट्ठा क्यों पहुंचाते हैं, सक्षम हैं आप क्यों चिंता करते हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी सक्षम है जवाब देने में...

अध्यक्ष : अच्छा चलिये, बैठ जाइये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : जवाब देना चाहिए, महोदय ।

अध्यक्ष : बैठिये न ।

श्री संजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो लोग शराब पीये हैं, वे जवाब दें....

अध्यक्ष : आप बैठिये, आप बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम तो सिर्फ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब शांति से सुनिये, आपस में बात न करें । आप लोगों से बार-बार आग्रह करते हैं कि जब नेता प्रतिपक्ष, नेता सदन, संसदीय कार्य मंत्री उठते हैं तो आप लोग गंभीरता से सुनें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हम तो सिर्फ सदन को स्मरण दिलाना चाह रहे थे कि जिस समय शराबबंदी कानून बन रहा था इस सदन में, उसका अधिनियमितीकरण हो रहा था, हम, आप और नेता प्रतिपक्ष, ये तीनों की कुर्सियां बदली हुई थी, हम आपकी जगह पर थे, आप प्रतिपक्ष की तरफ थे और नेता प्रतिपक्ष हमारी जगह बैठे हुए थे । ये हम तीनों का जगह परिवर्तन हो गया है लेकिन शराबबंदी कानून को उतने ही ईमानदारी से लागू करना है, यही संकल्प है ।

अध्यक्ष : ठीक है । प्रभारी मंत्री ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय....

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कितना देर चलेगा यह मामला....

अध्यक्ष : यह विषय अलग है....

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, चलेगा, क्यों नहीं चलेगा...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अलग से इस विषय को....

(व्यवधान)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : चलेगा-चलेगा, क्या संतों वाली बात कह रहे हैं.....

अध्यक्ष : अलग से यह विषय लाइये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ..

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : दो चीज मुख्यमंत्री जी बोल लेंगे, इसमें कौन-सी बड़ी बात है महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, क्यों नहीं बोल रहे हैं ?

अध्यक्ष : आप बैठे हैं न, मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, दोनों बैठें ।

यह पुर:स्थापित हुआ ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, यह साफ दिखता है कि मुख्यमंत्री...

अध्यक्ष : जो सूचीबद्ध है, उसको पहले हो जाने दीजिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, तो हमलोग, सबलोग समझ लें कि मुख्यमंत्री....

अध्यक्ष : विचार का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

श्री बिजेन्द्र प्रसाद सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अतएव, सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा । क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अखतरूल ईमान : जी, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 के सिद्धांतों पर विमर्श हो ।''

महोदय, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सदन का गठन ही हुआ है कानूनसाजी के लिए और विधि के निर्माण के लिए, तो हम यह जानना चाहेंगे माननीय मंत्री महोदय से कि हम यह कंफ्यूजन में हैं....

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो आवाज उठाई, माननीय मुख्यमंत्री....

अध्यक्ष : अब ये उचित, ललित जी आप वरिष्ठ लोग हैं, आपसे लोग सीखते हैं उनकी बात होने दीजिये...

(व्यवधान)

देखिये, आप वरिष्ठ लोग हैं, उनकी बात को सुन लीजिये । आपको भी मौका, सब को मौका मिल रहा है बात रखने का । सुन लीजिये, बैठ जाइये । बोलिये ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम....

अध्यक्ष : बैठ जाइये, माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये । बोलिये आप.....

(व्यवधान)

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, हाउस को ऑर्डर में लिया जाय । नियम के...

अध्यक्ष : अब उनको हमने आसन और...

(व्यवधान)

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, हाउस को ऑर्डर में लिया जाय...

अध्यक्ष : अच्छा बैठ जाइये सब लोग....

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं तो नहीं जानता था, मैं तो अन्य काम में था और अभी हमने इनसे पूछा है तो इन्होंने कहा है कि इस कैंपस में कहीं शराब की बोतल मिली है, ऐसी बात बता रहे थे । ये तो बहुत ही खराब बात है, यह कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है और मैं तो अध्यक्ष महोदय के सामने ही कहूँगा आप इजाजत करिये, ये पूरे चीज को एग्जामीन करने के लिए आज ही हम सबको कहते हैं, पूरे हम कह देंगे, अभी हम चीफ सेक्रेट्री से लेकर और डी0जी0पी दोनों को कहेंगे कि आज ही पूरे तौर पर

इंक्वायरी करवाइये और अगर आप इजाजत दे दीजियेगा तो यहां पर कैसे शराब की बोतल आयी है ? यह मामूली बात नहीं है, अगर यहां शराब की बोतल आयी है, तो कोई गड़बड़ कर रहा है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, अगर पता चल जाये तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है । हमको मालूम नहीं था, अगर यहां पर कहीं बोतल है और कहीं इस प्रकार से कोई इधर से उधर कर रहा है तो कोई गड़बड़ करने वाला होता ही है, हम तो प्रार्थना करेंगे एकदम पूरे जांच को एलॉउ करा दीजिये और कहीं पर कोई भी आदमी, अगर इस कैंपस में भी रहता है और यहीं पर सब लोग बैठे हुए हैं सेक्रेट्री वगैरह, मैं तो यही चाहूँगा कि एक-एक चीज को देखिये कि यहां पर कैसे आया, कहां से आया, कौन लाया तो एक-एक चीज को पूरी मजबूती के साथ और पूरी गंभीरता के साथ इस बात के बारे में जांच करनी चाहिए और इसमें जो कुछ भी है उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, हम तो यही चाहेंगे, निश्चित रूप से यही चाहेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है...

(व्यवधान)

आपकी डिमांड थी, अब बोल चुके न...

आप बोलिये, श्री अखतरूल ईमान । बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

टर्न-15/संगीता/30.11.2021

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, जानकारी नहीं थी, हम खुद देखकर आए हैं आंखों से तो हम बतायेंगे कि नहीं सदन में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब हो गया । आपने बताया, ठीक किया । सभी सदस्य सदन के प्रति जिम्मेवार और गंभीर हैं यह अच्छी बात है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : देखते रहते हैं जवाब ही नहीं देते हैं ...

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, बैठ जाइये । श्री अखतरूल ईमान जी ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अगर सोशल मीडिया पर डालिएगा तो हम पढ़ेंगे ही नहीं...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : आपको हम पोस्ट करा देते हैं...

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : चिट्ठी जब हमको मिल जाए और तब कोई खबर आएगा तब न हम पढ़ेंगे । हमको मिलने के पहले समाचार पत्र में और सोशल मीडिया में आ जाता है तब हम देखते ही नहीं हैं, आप जानते नहीं हैं मेरा स्वभाव जो है ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : आपको टैग भी कर दिया जाता है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : लोकतंत्र की खूबसूरती झलक रही है कि नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन बोल रहे हैं, बीच में आपलोग क्यों बोल रहे हैं, अब शांत रहिए...

(व्यवधान)

अब बैठ जाइये । अब टाईम बहुत निकल गया, 20-25 मिनट निकल गया है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : डिजीटल फास्ट फॉर्वर्ड जमाना है महोदय । आपको टैग कर दिया जाता है क्योंकि आपका...

अध्यक्ष : अलग से आप वार्तालाप कर लीजिएगा, अब बैठ जाइये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : हम इतनी ही उम्मीद करेंगे सरकार से कि जो गरीब सिपाही है उसके...

अध्यक्ष : सदन चलाने में नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों की जिम्मेवारी है । बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : सहयोग करेंगे न ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब उनको बोलने दीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, आसन न गरीब को जानता है न अमीर को जानता है । कानून के हिसाब से माननीय नेता,सदन को हम कहेंगे कि कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए । बोलिए ।

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक कन्फ्यूजन में हूं पहले उसकी शुद्धि चाहता हूं कि जो यहां पर आज प्रस्ताव पेश किया गया है ''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021'' तो मैं इस संबंध में ऑरिजनल जो कानून की कॉपी है उसको पढ़ना चाहा । लाइब्रेरी में एक घंटा तलाश करने के बावजूद भी मुझे उसकी कॉपी नहीं मिली । मामला गंभीर है महोदय । बिहार की गरीब भीख मांगने वाली जनता भी अपने टैक्स के पैसे से हमें चुनकर भेजती है ताकि हम कानूनसाजी करें । यह घर कानूनसाजी के लिए जो कि बुनियादी काम हमारा है । मंत्री महोदय ने जो पेश किया है, वह ''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021'' लेकिन मैंने जो तलाश किया, मुझे गजट की जो कॉपी मिली है उसमें लिखा हुआ है ''बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग'' तो वह अलग चीज है यह अलग चीज नहीं है नोटिफिकेशन में जो पैरा है जिसमें ये चाहते हैं संशोधन वह मेल खाता है ''बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग'' के पारा- 3 के 2 से यह एक है तो मैं यह चाहता हूं कि पहले यह सुधार हो जाए कि यह बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014 है या बिहार

तकनीकी सेवा आयोग है । यह मैं चाहता हूं कि इसका स्पष्टीकरण हो जाता शायद तो बात करने में हमें आसानी होती ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, यह बिहार तकनीकी सेवा आयोग विधेयक है, यह कर्मचारी तकनीकी सेवा आयोग नहीं है ।

अध्यक्ष : चलिए, अब बैठ जाइये ।

श्री अखतरूल ईमान : लेकिन इसका पारा- 3 जिसपर संशोधन चाहते हैं, वह बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014 के पारा- 3 के 2 से मेल खाता है यह भी देख लें । मैं तो यह समझता हूं कि शायद यह जल्दबाजी में उठाया गया कदम होगा । मेरे पास गजट की कॉपी है । पारा 3 का 2 जो मिलता है वह बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014 से मेल खाता है तो इस पर जरा स्पष्ट कर दें मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : यह मेल नहीं खाता है ।

अध्यक्ष : जनमत जानने का प्रस्ताव ।

श्री अखतरूल ईमान : नहीं, महोदय, यह मामला ही नहीं हुआ, मैंने तो अभी अपनी बात ही नही रखी अभी...

अध्यक्ष : स्पष्ट कर दिये उन्होंने तो ।

श्री अखतरूल ईमान : स्पष्ट नहीं किया महोदय, बड़ी भूल है इसमें । गंभीर मसला है, कानूनसाजी के लिए हम बैठे हैं लॉ-मेकर हैं हमारे बनाए गए कानून पर अदालतों में फैसले होंगे...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य.....

श्री अखतरूल ईमान : फैसले होंगे सुप्रीम कोर्ट तक और उसमें इतना बड़ी भूल हुई है, मुझे लगता है कि गलती हुई है अगर यह गलती है तो उसका सुधार किया जाय और गलती नहीं है तो मैं अपनी बात रखूंगा ।

अध्यक्ष : ठीक है । बोलेंगे, माननीय मंत्री जी बोलेंगे ।

श्री अखतरूल ईमान : हां, माननीय मंत्री जी पहले बता दें उसके बाद... महोदय, मैं तो अपना संशोधन रखूंगा न, महोदय ।

अध्यक्ष : यह प्रश्नोत्तर काल तो नहीं है ।

श्री अखतरूल ईमान : नहीं प्रश्नोत्तर काल नहीं है सर । मामला यह है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री अजीत शर्मा, श्री मुकेश कुमार यादव...

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मैं हाउस को चैलेंज करता हूं कि हाउस ने गलत सूचना दी है और और गलत सूचना पर मैं बहस करूंगा, मैं संशोधन रखूंगा...

अध्यक्ष : इस विषय...

श्री अखतरूल ईमान : नियम यही है सर, नियम यही है सर । स्थगित किया जाय । हमारे बुजुर्ग मंत्री हैं, मुमकिन है कि हो सकता है लेकिन इनके जवान और बहुत ही कर्मठ जो कर्मचारी हैं

जो कानूनसाजी कर रहे हैं तो पदाधिकारियों ने क्या किया है इस मामले में यह हम जानना चाहते हैं सर...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 3 में कहां है लिखा हुआ...

श्री अखतरूल ईमान : यह मेरे पास है सर, यह है बिहार तकनीकी सेवा आयोग और जो गजट है वह कह रहा है बिहार तकनीकी कर्मचारी सेवा आयोग, अधिनियम, 2014...

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा भी इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021'' दिनांक-28 फरवरी, 2022 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी इसके संदर्भ में बतायेंगे, बैठ जाइये ।

श्री अखतरूल ईमान : जो विषयवस्तु रखा गया है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : समय से हम बंधे हैं । माननीय सदस्य, देखिए हम समय से बंधे हैं, 20-25 मिनट समय पहले ही चला गया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपकी बात को मंत्री जी ने संज्ञान में लिया है । माननीय सदस्य, आपके विषय को मंत्री जी सदन में संज्ञान लिए हैं ।

(व्यवधान)

ललित जी माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : जिद मत पकड़िए, बैठ जाइये ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, तकनीकी सेवा आयोग...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बोले न, माननीय मंत्री जी बोलेंगे न, बैठ जाइये न ।

श्री अखतरूल ईमान : ये तो अन्याय है...

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, अधिनियम 2014 में ही गठन किया गया । महोदय, गठन से समय से ही विरोधाभास था इसके लिए पुनः 2021 में संशोधन लाया गया है । महोदय, इसमें

काफी विरोधाभास है जैसे कि चिकित्सा सेवा, अभियंत्रण सेवा की ही चर्चा की गई है जबकि तकनीकी सेवा में चिकित्सा, अभियंत्रण, कृषि, पशुपालन एवं पशु विज्ञान भी आते हैं जिसकी चर्चा नहीं है, जो कि होनी चाहिए । महोदय, सबसे विरोधाभास है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी भी होंगे क्योंकि जबकि यह तकनीकी सेवा आयोग है तो केवल तकनीकी सेवा के पदाधिकारी के सदस्य के रूप में क्यों नहीं ? इस आयोग से केवल तकनीकी पदाधिकारी एवं कर्मचारी की ही नियुक्ति होना अतः इस आयोग के संशोधन को जनमत जानने के प्रस्ताव को पारित किया जाना चाहिए महोदय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 दिनांक-28 फरवरी, 2022 तक जनमत जानने के लिए परिचालित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

<u>संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021'' को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अंदर दे ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021'' को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अंदर दे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

<u>प्रवर समिति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री रणविजय साहू द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री रणविजय साहू अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री रणविजय साहू : महोदय, प्रस्ताव को हम मूव करते हैं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अंदर दे ।''

महोदय, उसमें समयसीमा निर्धारित किया जाय और अगर समय के अंदर काम नहीं होता है तो दंड का भी उसमें प्रावधान हो ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अंदर दे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टर्न-16/सुरज/30.11.2021

<u>विधेयक के मूल पाठ में संशोधन</u>

अध्यक्ष : अब मैं खण्डशः लेता हूं । खण्ड-2 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-2 के प्रस्तावित संशोधन की दूसरी पंक्ति के शब्द ''अधिकारी'' एवं शब्द ''जिनकी'' के बीच शब्द समूह ''जो 55 वर्ष से अधिक के न हो'' अंतःस्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया कि केन्द्र और राज्य सरकार दोनों में प्रशासनिक पदाधिकारियों की सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष माना गया है और माना जाता है कि 60 वर्ष के बाद शरीर की क्षमता घटती भी है ऐसे में 55 वर्ष तक नियुक्ति हो ताकि वह 60 वर्ष में सेवानिवृत हो सकें, इसलिए मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-2 के प्रस्तावित संशोधन की दूसरी पंक्ति के शब्द ''अधिकारी'' एवं शब्द ''जिनकी'' के बीच शब्द समूह ''जो 55 वर्ष से अधिक के न हो'' अंतःस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खण्ड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड-3 में तीन संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे ? नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-3 के उपखंड (1) में प्रस्तावित परन्तुक के बाद एक नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाय:-

''परन्तु यह और कि यह अवधि विस्तार अधिकतम छः माह के लिए होगा और इस बीच में अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति निश्चित रूप से कर ली जायेगी ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है कि कार्यकारी व्यवस्था बहुत लंबी अच्छी संस्कृति नहीं है । कई बार सुप्रीम कोर्ट का भी न्यायादेश आया है कि कार्यकारी व्यवस्था अल्प अवधि के लिए ही मान्य है । बार-बार अवधि विस्तार से संबंधित कार्यालय की स्वच्छ कार्य संस्कृति प्रभावित होती है । अतः छः माह तक की ही अवधि विस्तार हो और सरकार नियुक्त कर ले छः माह में इसलिए मैं यह प्रस्ताव देता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-3 के उपखंड (1) में प्रस्तावित परन्तुक के बाद एक नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाय:-

''परन्तु यह और कि यह अवधि विस्तार अधिकतम छः माह के लिए होगा और इस बीच में अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति निश्चित रूप से कर ली जायेगी ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : महोदय, मूव करेंगे ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-3 के उपखंड (2) में प्रस्तावित परन्तुक की दूसरी पंक्ति के शब्द ''निर्वहन'' एवं तीसरी पंक्ति के शब्द ''करेंगे'' के बीच शब्द समूह ''अधिकतम छः माह तक'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

महोदय, इसमें भी वही है कि कार्यकारी व्यवस्था अल्पकालिक हो, 6 माह की अवधि कार्यकारी व्यवस्था के लिए बहुत होती है इसलिए अवधि विस्तार किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक न हो इसे सरकार स्वीकार करे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-3 के उपखंड (2) में प्रस्तावित परन्तुक की दूसरी पंक्ति के शब्द ''निर्वहन'' एवं तीसरी पंक्ति के शब्द ''करेंगे'' के बीच शब्द समूह ''अधिकतम छः माह तक'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खण्ड-3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड-4 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-4 में प्रस्तावित संशोधन की दूसरी पंक्ति के अंक ''70'' के स्थान पर अंक ''65'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया कि 60 वर्ष के बाद जो पहले भी कहा कि स्मरण शक्ति क्षीण होने लगती है अधिकतम 65 वर्ष रखा जाय ताकि वह दक्षता से कार्य कर सकें इसलिए यह प्रस्ताव है इसे स्वीकार करने में सरकार को अगर कोई कठिनाई हो मानने में तो हम सभी से चाहेंगे कि इसको माना जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-4 में प्रस्तावित संशोधन की दूसरी पंक्ति के अंक ''70'' के स्थान पर अंक ''65'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खण्ड-4 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड-5 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खण्ड-5 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-5 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

सदन के सदस्यों का पूरा ध्यान केन्द्रित होना चाहिए आसन की ओर ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

नए सदस्य ज्यादा जागरूक हैं । स्वीकृति का प्रस्ताव ।

इसके पहले माननीय सदस्य अखतरूल जी, मैं आपकी शंका का समाधान कर देता हूं । इस एक्ट का नाम पहले बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग था परन्तु 2018 में एक संशोधन के तहत इसका नाम बिहार तकनीकी सेवा आयोग हो गया है । उसकी कॉपी इनको उपलब्ध करवा दीजिये ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, इसी सदन के द्वारा संशोधन हुआ था ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो।''

महोदय, एक का क्लेरीफिकेशन जो कि हुआ कि 2018 में संशोधन हो गया। पहले तकनीकी कर्मचारी चयन सेवा आयोग था अभी तकनीकी सेवा आयोग हो गया । महोदय, चार बिंदु इसमें महत्वपूर्ण है जो कठिनाईयां आती है किसी भी आयोग के गठन के बाद उसको बारी-बारी से सरकार को अधिकार है कि उसमें संशोधन करके उसकी वायब्लिटी को, उसकी एफिसियेंसी को, उसके कार्यप्रणाली में सुधार लावे । पहला जो है महोदय, यह है कि पूर्व में आयोग की सदस्य के रूप में राज्य सेवा के पांच अधिकारी जिनकी न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा हो का प्रावधान था इसके स्थान पर राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियुक्त राज्य सेवा के 5 अधिकारी रखे गये हैं अर्थात किसी सेवा पदाधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है ।

नंबर 2 धारा-4 के परन्तुक में पहले मात्र सदस्य के कार्य के अवधि के विस्तार का प्रावधान था । अब प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष या किसी सदस्य का अवधि विस्तार किया जा सकेगा ।

नंबर 3 धारा-4 के परन्तुक में यदि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो वरीयतम सदस्य कार्यकारी व्यवस्था के तहत अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन करेंगे, यह प्रावधान जोड़ा गया है ।

चौथा है महोदय कि 70 वर्ष की आयु जो पहले हो, कार्यरत रहने के अधिकतम 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक होगी पूर्व में प्रावधान के अनुसार नियुक्ति की अधिकतम आयु मात्र केवल 62 वर्ष की हुई थी । यही 4 मुख्य संशोधन इसमें महोदय किये गये हैं ।

(क्रमशः)

टर्न-17/राहुल/30.11.2021

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : (क्रमशः) विधान मंडल की बैठक में बार-बार संशोधन का मामला आता ही है । जब हम काम करते हैं, ललित जी बोल रहे थे, आप आज से 10 साल पहले जितना तेज-तर्रार थे आज क्यों संशोधन करते चलते हैं ? ये तो होता ही रहता है, जीवन के क्रम में, बढ़ने के क्रम में अनुभव के आधार पर । आपको तो नेता होना चाहिए लेकिन गलती हो गयी कि आप नेता नहीं हो इसीलिए अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न उठना लोकतंत्र में कि बार-बार संशोधन क्यों लाया जा रहा है, कानून बनाये भी जाते हैं, कानून कभी-कभी संशोधित भी किये जाते हैं, कभी-कभी खत्म भी किये जाते हैं । समय के अनुकूल, परिस्थितियों के अनुकूल चीजें बदलती रहती हैं, युग के अनुरूप । इसीलिए महोदय यह संशोधन लाया गया है, इसका मुख्य मकसद यही है, मैं अनुरोध करूंगा कि इसे कृपा करके पास करने की कृपा की जाय ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : जो अभी बोल रहे थे 65 साल, और कुछ बोल रहे थे उनको हम बता देना चाहते हैं कि जो तकनीकी सेवा आयोग है जिसके बारे में आपको बता दिया गया है। तकनीकी सेवा आयोग में तो आप जानते हैं न कि डॉक्टर्स वगैरह सबकी बहाली होती है और तकनीकी सेवा आयोग में जो पहले से हैं उसमें डॉक्टर्स नियुक्त होते हैं तो चूंकि अब इसमें उनकी तो रिटायरमेंट की एज हुई है 67, अब इतनी कम एज पर रहेंगे तो सभी डॉक्टर्स तो उस तरह से आ नहीं पाएंगे ।

इसीलिए हम लोगों ने जो पहले से था 62 तक, उसको हम लोगों ने 70 तक किया है ताकि जो डॉक्टर्स हैं ठीक ढंग से डॉक्टर्स की नियुक्ति हो पाये, उनका सलेक्शन हो पाये इसलिए बढ़ाया है और कोई बात इसकी नहीं है । मकसद यही है कि ये जो तकनीकी सेवा आयोग है इसमें जो सदस्यों का 5 होता है उनका 6 है । मान लीजिये चेयरमैन कभी रिटायर कर गये तो जब तक चेयरमैन की नियुक्ति होगी तब तक कमिटी का काम बाधित नहीं रहे इसलिए यह भी प्रोविजन कर दिया कि ये जब तक रहेंगे उस बीच में जो सीनियर मेंबर हैं उनको तब तक एक्टिंग चेयरमैन का अधिकार दे दिया जाये।

तो ये सब व्यवस्था की गयी है ताकि किसी तरह से तकनीकी सेवा आयोग के काम में किसी तरह की बाधा नहीं आये और पूरे तौर पर सब लोग इसमें ऐसे लोग आ जायं कि सब तरह से सलेक्शन कर सकें, अच्छे ढंग से वे काम कर सकें यही मकसद है कि 70 का रखा गया । इसलिए यह एक्ट लाया गया है, और कोई इसका दूसरा मकसद नहीं है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, भाई वीरेन्द्र जी बड़े सीनियर सदस्य हैं और इन्होंने जो विषय उठाया है, सदन जब तक चलेगा, सदन में सभी नए लोग तो रहें ही, पुराने भी रहें और यह मॉनिटरिंग कम से कम आप अपने पक्ष में विशेष तौर पर देखेंगे ।

''बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान का विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अतएव सिद्धान्त पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा । क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं कि

''बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 के सिद्धान्त पर विमर्श हो ।''

इस बिल के संबंध में जो उद्देश्य या उसका उल्लेख किया गया है कि बिहार सरकार में निजी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे और खोलने के नतीजे में जो मापदंड हैं अगर प्रायोजक मापदंड को 2 साल में पूरा नहीं कर पाता है तो अगले 2 साल की अवधि विस्तार गवर्नमेंट दे सकती है लेकिन अब जो फिर ये बिल पेश हुआ है इसमें इस अवधि विस्तार को दो साल-दो साल, 4 साल नहीं बल्कि एक शब्द यहां पर किया गया है कि यथोचित, यथोचित यानी कि जब तक ये उचित समझें उसको अवधि विस्तार दे सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, असल मामला यह है कि हम जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ जा रहे हैं, बिहार के गरीबों के, मजदूरों के बच्चों के लिए सरकार काम करना चाहती है, स्कूल खुले हैं भले ही शिक्षकों की कमी रही हो लेकिन हायर एजुकेशन का हाल बहुत बुरा है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में वैसे भी गरीबों के बच्चे तो जाहिर है कि फीस अदा करनी पड़ेगी, गरीबों के बच्चे सही तौर पर वहां जा नहीं पाएंगे, अमीरों के बच्चे जाएंगे भले ही अब सरकार ने फैसला ले लिया है लेकिन इसमें अब एक और खराबी आ रही है कि दो साल में अगर वे अपने मापदंड को पूरा नहीं कर पाते हैं तो दो साल की अवधि विस्तार का मौका तो इनके पास है ही लेकिन ये चाहते हैं कि यथोचित जब तक मुमकिन हो सके उसकी अवधि विस्तार का मौका दिया जा सकता है तो मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी पार्किंग की दुकान तो है नहीं । यूनिवर्सिटी खुलेगी एडमिशन होगा अगर वहां पर लेबोरेट्री नही है, वहां पर अच्छे शिक्षक नहीं हैं तो हमारे उन बच्चों का क्या होगा जो एडमिशन लेंगे । मापदंड को पूरा नहीं कर पाएंगे तो सरकार अगर इसकी अवधि विस्तार कराना चाहती है और निजी हाथों में एजुकेशन को जाने ही देना चाहती है, खासकर कि हायर एजुकेशन को और अमीरों के बच्चे ही यहां पढ़ पाएंगे तो अवधि विस्तार को ये किया जाय कि कितने दिन अवधि विस्तार होगी, उसकी समय-सीमा तय होनी चाहिए कि दो साल इसने दिया है कंसेशन तो और दो साल दे दें लेकिन यथोचित कह देंगे तो वे तो कभी भी दे सकते हैं । इससे होगा क्या कि शिक्षा माफिया लोग अपना एक नोटिफिकेशन ले लेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी खोल देंगे, गरीबों के

बच्चों का एडमिशन हो जायेगा, मापदंड नहीं होगा, वहां अच्छी फैकल्टी नहीं होगी, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, नतीजा होगा कि हमारा भविष्य निर्माण करने वाले युवाओं का शोषण होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें कम से कम टाइम बाउंड कर दिया जाय कि कम से कम एक साल और अवधि दी जाय, पांच साल की अवधि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए काफी हो सकती है इससे ज्यादा यथोचित को खत्म करके वहां पर कर दिया जाय कि एक साल का अवधि विस्तार किया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री अजीत शर्मा, श्री फते बहादुर सिंह एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 दिनांक-28 फरवरी, 2022 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

महोदय, बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 में ही अपने अस्तित्व में आया । जब 2013 में ही संशोधन की मांग की गयी थी लेकिन संशोधन नहीं किया गया जिसके चलते आज संशोधन की जरूरत आ गयी है । यह विधेयक बिहार राज्य के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इस विधेयक में राज्य के नागरिकों के बच्चों के नामांकन में प्राथमिकता निर्धारित हो एवं राज्य सरकार के नामांकन में जो आरक्षण हो उससे सरकारी विश्वविद्यालय की तरह निजी विश्वविद्यालय में भी लाभ मिले । इस तरह के कई सुधार एवं संशोधन की जरूरत है । महोदय, इस विधेयक को लोक कल्याणकारी बनाने हेतु इसे जनमत जानने के प्रस्ताव की स्वीकृति दें महोदय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 दिनांक-28 फरवरी, 2022 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

टर्न-18/मुकुल/30.11.2021

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

श्री भाई वीरेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, एक बार हमलोगों के पक्ष में भी बोलें, इतना जोर से हमलोग बोलते हैं ।

अध्यक्ष: आप ललित जी को देखते रहते हैं, आप तो ''हां'' या ''ना'' भी नहीं बोलते हैं ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: ये तो ललित जी वाले प्रश्न पर एकदम मौन रहते हैं ।

अध्यक्ष: इसमें माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अजय कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अंदर दे ।''

यह अधिनियम वर्ष 2013 जो है, जिसमें धारा-5 की उपधारा-2 में दो साल की अवधि के विस्तार की बात कही गई है हमारे अन्य सदस्यों ने कहा । फिर धारा-5 की उपधारा-2 में वर्ष 2017 में भी संशोधन किया गया । वह संशोधन भी इसी विधेयक का अंग बना, फिर वर्ष 2021 का संशोधन सामने आया है तो उद्देश्य तब होता है जब उपयोगिता सामने होती है । इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी उपयोगिता क्या है, तब इसका उद्देश्य तय होगा तो इसे संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाय और एक माह के अंदर उनसे रिपोर्ट मांगी जाय ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अंदर दे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

<u>प्रवर समिति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष: इसमें माननीय सदस्य श्री रणविजय साहू द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य, श्री रणविजय साहू अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ।

श्री रणविजय साहू: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अंदर दे ।''

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अंदर दे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक के मूल पाठ में संशोधन

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड-2 में तीन संशोधन है । क्या माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित परन्तुक की तीसरी पंक्ति के शब्द समूह ''यथोचित अवधि'' के स्थान पर शब्द समूह ''अधिकतम तीन साल'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिये दिया है क्योंकि पहले से ही यह प्रावधान है कि निजी विश्वविद्यालयों को दो साल में शर्तों की पूर्ति करनी है । यदि वे पूरी नहीं करते हैं इस अवधि में तो दो वर्ष का और विस्तार दिया जाता है । इस तरह से चार वर्ष हम शर्तों को पूरी करने के लिए देते हैं । अब जो समय सीमा निर्धारित की जा रही है वह अनंत काल तक है । ''यथोचित अवधि'' निश्चित रूप से परिभाषित होनी चाहिए अन्यथा सचिवालय में घूम-घूम कर निजी विश्वविद्यालय के लोग अपनी शर्तें पूरी करने की अवधि बढ़वाते रहेंगे । इसलिये सरकार इस संशोधन को स्वीकार कर ले ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित परंतुक की तीसरी पंक्ति के शब्द समूह ''यथोचित अवधि'' के स्थान पर शब्द समूह ''अधिकतम तीन साल'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित परन्तुक की तीसरी पंक्ति के शब्द समूह ''यथोचित अवधि'' के स्थान पर शब्द समूह ''अधिकतम चार साल'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिये दिया है क्योंकि निजी विश्वविद्यालयों के लिये दो वर्ष की अवधि पूर्व से निर्धारित है और एक विस्तार की अवधि दो वर्ष मिलाकर चार

वर्ष हो जाती है । इसलिये यथोचित अवधि को परिभाषित करते हुए सीधे चार साल की अवधि निजी विश्वविद्यालयों को दे दी जाय । हर चीज में एक समय सीमा का निर्धारण अवश्य होना चाहिए ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित परन्तुक की तीसरी पंक्ति के शब्द समूह ''यथोचित अवधि'' के स्थान पर शब्द समूह ''अधिकतम चार साल'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजय कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित परन्तुक की तीसरी पंक्ति के शब्द ''यथोचित'' के स्थान पर शब्द समूह ''एक वर्ष की'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित परन्तुक की तीसरी पंक्ति के शब्द ''यथोचित'' के स्थान पर शब्द समूह ''एक वर्ष की'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-1 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-1 के उपखंड (3) में प्रस्तावित दिनांक ''01.04.2021'' के स्थान पर दिनांक ''01.04.2019'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

इस विधेयक के मूल पार्ट में संशोधन के लिए महोदय मैंने प्रस्तावित संशोधन के उपखंड-3 में यह संशोधित हो कि दिनांक-01.04.2021 से लागू होगा । जबकि यह सर्वविदित है कि दिनांक-01.04.2019 से पूरे देश और राज्य में कोविड-19 का प्रभाव रहा है । इसलिए यह विधेयक संशोधन के बाद दिनांक-01.04.2019 से ही लागू किया जाय क्योंकि कोविड-19 के कारण यदि किसी निजी विश्वविद्यालय के तय समय अवधि 2019 में पूरा हो गया हो तो उसे भी कोविड-19 के कारण सफर नहीं करना पड़े, इसलिए मैंने यह संशोधन दिया है ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-1 के उपखंड (3) में प्रस्तावित दिनांक ''01.04.2021'' के स्थान पर दिनांक ''01.04.2019'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्षः प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो।''

महोदय, मैंने सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से इस विधेयक को इस सदन की स्वीकृति के लिए इसलिए प्रस्तुत किया है कि सारा सदन सहमत है।

क्रमशः...

टर्न-19/यानपति/30.11.2021

क्रमशः...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः अभी ललित कुमार यादव जी बोल रहे थे हम तो उनको धन्यवाद देनेवाले थे लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसका भी जरा संज्ञान लीजिए कि विधेयक में संशोधन करके अब अजीत शर्मा जी देखिए वह जो चाह रहे थे उनकी बात को हम स्पष्ट

करनेवाले थे वे चले गए । ललित यादव जी कुछ जनमत से लेकर कई संशोधन दिए उसके बारे में हम कुछ कहना चाह रहे थे वे चले गए । अब धन्यवाद तो हम अखतरूल जी को देंगे कि ये बैठे हुए हैं । आ गए । इसलिए हम बोले ही थे कि कहीं सुन रहे होंगे तो आ जाएंगे । हम आपको धन्यवाद देने के लिए खोज रहे थे कि आपने वैसे तो आपने प्रस्ताव दिया है जनमत जानने के लिए परिचारित कराने का लेकिन आपने जो बातें कहीं जो विधान सभा की कार्यवाही का हिस्सा बन चुकी हैं इन्होंने जो बातें कही हैं विधेयक के पक्ष में कही हैं कि इस विधेयक की आवश्यकता है । हम आपको इसके लिए सरकार की तरफ से धन्यवाद देते हैं और सदन की भावना को देखते हुए ही हमलोगों की सरकार ने, नीतीश सरकार ने बिहार निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2013 में हमने लाया था और उसकी स्वीकृति सदन ने दी थी और उसके अच्छे परिणाम भी आए थे कि बिहार राज्य में कई निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और उसी के तहत कुछ विश्वविद्यालय जिन लोगों को आशय पत्र जो हमलोग देते हैं एक तरह से स्थापना की अनुमति जैसा कि आप स्थापना कर सकते हैं लेकिन उनको जो समय दिया जाता है दो वर्ष । जो मूल कानून बना मूल अधिनियम बना 2013 में उसमें दो साल की अवधि हमलोगों ने दी थी कि आप इसके अंदर विश्वविद्यालय स्थापित कर लीजिए हमलोग फिर आगे की आपकी मान्यता दे देंगे लेकिन कई विश्वविद्यालय के जो प्रमोटर्स थे उन लोगों ने कहा कि उन लोगों के लिए दो साल का समय कम हो जाता है कभी-कभी जमीन मिलने में दिक्कत होती है कभी संसाधन की कमी हो जाती है इसके लिए जैसा कि हमारे अजय जी कह रहे थे कि 2017 में भी हमलोगों ने इसमें संशोधन लाया था कि जो दो साल था उसको हमलोगों ने अगले फिर अतिरिक्त दो साल के लिए बढ़ाने का प्रावधान किया था लेकिन आप तो समझ सकते हैं कि वह प्रावधान कोई सरकार की खातिर नहीं था वह तो इस सूबे इस प्रदेश के हित में था कि निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए यह अधिनियम बना और जो दो साल का वक्त दिया गया उसके प्रमोटर्स जो थे उसमें वह नहीं लगा सके तो अतिरिक्त दो वर्ष का दिया गया लेकिन कुछ प्रमोटर्स ऐसे भी थे जो आए और जो अतिरिक्त समय की मांग करने लगे इसलिए हमने यह संशोधन लाया है कि जब सदन सहमत है कि निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए और सरकार जिनको उपयुक्त मानती है अगर थोड़ी देर सबेर ही सही वो अपना संसाधन अपने लिए भूमि एकत्रित करते हैं या भूमि उपलब्ध करते हैं, फिर उसमें अपने संसाधन से विश्वविद्यालय के भवन आदि का निर्माण करते हैं फिर उसमें मानव संसाधन लगाते हैं और इसके बाद अगर सरकार को अगर मंजूरी देनी होती है और अगर थोड़ा समय और वे चाहते हैं तो आपने जो कहा अजय जी की बार-बार क्यों लाती है बार-बार लाने का मकसद यही है कि मकसद पूरा नहीं हो रहा है इसलिए हमको बार-बार लाना

पड़ रहा है यह हमारी कोई पसंद नहीं है हमलोग तो दो वर्ष का दिए थे । अगर उसी में काम चल जाता तो अगला संशोधन भी 2017 वाला भी नहीं लाते जिसका जिक्र आप कर रहे थे । और अभी चूंकि वह मकसद पूरा नहीं हुआ है इसलिए हमलोगों को यह संशोधन लाना पड़ा है । इस बीच में कुछ बातें जैसे अखतरूल ईमान जी ने जो कहीं शायद उन्होंने विधेयक या इसके आगे की जो कार्यवाही है उसके अंतर को आपने देखा नहीं । ये जो हमलोग दे रहे हैं समय ये आशय पत्र एक तरह से कहिए स्थापना की अनुमति जो कहते हैं ये उसके लिए समय दे रहे हैं । आपने जो कहा हम समय दे रहे हैं और कोई निजी आदमी विश्वविद्यालय खोलकर बच्चों का एडमिशन ले लेगा, उनका दोहन करेगा, उनका शोषण करेगा, ये बात इससे जुड़ी हुई नहीं है हम एडमिशन लेने की अनुमति नहीं दे रहे हैं हम तो आशय पत्र निर्गत करने के बाद जो उनको विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो समय की सीमा दे रहे हैं हमने सिर्फ उसमें विस्तार किया है । और जो हमारी विस्तारित अवधि है इस बीच में विश्वविद्यालयों से संबंधित जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं, आवश्यकताएं हैं उसको वे पूरा कर लेंगे तब हम उन्हें अनुमति देंगे । तब वे एडमिशन लेंगे । इसलिए ऐसा नहीं है कि उनको बिहार के विद्यार्थियों या उस मायने में देश के कहीं के भी विद्यार्थियों को शोषण करने का मौका सरकार देगी ऐसी बात बिल्कुल नहीं है महोदय । और यह इस सूबे के इस प्रदेश के हित में है बच्चों के हित में है सबलोगों ने कहा है कि हमारे बच्चे दूसरे प्रदेश में जाते हैं । कैपिटेशन फी देकर अलग-अलग अधिक पैसा देकर एडमिशन लेते हैं । आज हमारे यहां उच्चतर शिक्षा में संस्थानों की आवश्यकता है और अगर कहीं से निजी क्षेत्र से कोई अपनी भूमि की व्यवस्था करके उसमें संसाधन लगाकर विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं तो हमलोगों को उसमें मदद का अनुभव होता है और हमलोग चाहते हैं कि यहां विश्वविद्यालय की स्थापना हो इसलिए हमलोगों ने लाया है और महोदय जबसे खासतौर से सबलोगों ने आप सब लोग साथ थे कि जबसे हमलोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना लायी है जो मुख्यमंत्री जी की विशेष सोच थी जिसमें हमलोग उच्चतर शिक्षा में जो लड़के नहीं पहुंच पाते थे गरीबी के कारण उनको उच्चतर शिक्षा की पढ़ायी करने के लिए भी जो हम उनको मदद करने लगे हैं तबसे कॉलेजेज में एडमिशन लेने के लिए लड़कों की संख्या और भी बढ़ गयी है और जो स्थापित महाविद्यालय हैं उनपर नामांकन का दबाव और भी बढ़ गया है । इसलिए निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना हम समझते हैं, सारा सदन महसूस करता होगा, हमलोग तो इसके जनमत जानने या इसके मूल भावना के संबंध में तो किसी की दो राय हो ही नहीं सकती है सबलोगों ने इसे पारित किया था । हमलोगों ने तो सिर्फ दो साल को बढ़ाकर अगर स्थापना करने में किन्हीं को थोड़ी देर-सबेर हो रही है, जैसे अजय जी ने कहा कि दो साल लाये तो फिर क्यों बढ़ाए

यही फिर नहीं बढ़ाने के लिए सदन में आपको दिक्कत देनी पड़ी इसीलिए तो इसको लिख रहे हैं हमलोग इसको सरकार जबतक चाहेगी उनको स्थापना की अनुमति से पहले की चीज जो अखतरूल ईमान जी ने कहा कि कोई हमको उनको अनुमति देकर शोषण करने की छूट नहीं दे रहे हैं । हम तो सिर्फ उनको यह कह रहे हैं कि आप स्थापना करिए फिर हम आपको अनुमति देंगे । इसलिए ये पूरे राज्य के हित में है राज्य के छात्र-छात्राओं के हित में है इसलिए महोदय हम सदन से अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इस संशोधन विधेयक जो हमारा ''बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021'' है इसको सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करने की सबलोग कृपा करें, इसीलिए महोदय हमने यह बात कही है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हुआ ।

टर्न-20/अंजली/30.11.2021

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज बहुत ही सकारात्मक भाव से सदन चलाने में आप सबों का सहयोग मिला ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, इसको बोला नहीं जाय, नहीं तो कभी-कभी नजर लग जाती है ।

अध्यक्ष: अभी कुछ बताना चाह रहे हैं कि बिहार की पहचान उसकी समृद्ध, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासतों से भी है और इस पहचान को तब और व्यापकता मिलती है जब यह भाव, भजन तथा भोजन की त्रिवेणी से जुटती है ।

रामायण में वर्णित भगवान श्री राम के अहिल्या उद्धार, महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि और ताड़का वध के लिए मशहूर बक्सर में हर वर्ष मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से पंचकोशी मेले की शुरूआत होती है । अब बक्सर के जो सदस्य हैं वे समझ गए होंगे कि आगे और क्या होगा । इसके अंतिम दिन श्रद्धालुओं द्वारा लिट्टी-चोखा का मशहूर महाप्रसाद बनाकर ग्रहण किया जाता है । इस मेले में सब भेदभाव मिट जाते हैं और अद्भुत सामाजिक समरसता दिखाई देती है । मान्यता है कि भगवान श्री राम ने यहां लिट्टी-चोखा जैसा व्यंजन बनाकर खाया था और जिसके उपलक्ष्य में यह परंपरा अनवरत जारी है । बहुत सारे स्टेट में कंफ्यूजन होता है कि

लिट्टी-चोखा कहां से आया तो यह हमारी विरासत है । इस वर्ष यह पंचकोशी मेला 24 से 28 नवंबर तक चला ।

माननीय सदस्यगण, अपनी विरासत, अपनी पहचान को व्यापक बनाना हम सब की जिम्मेदारी है और माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा यह इच्छा रही है कि प्रत्येक भारतीय की थाली में कम से कम एक बिहारी व्यंजन हो । मुझे आपको यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि सत्रावधि के दौरान बिहार विधान सभा कैंटीन में लिट्टी-चोखा की व्यवस्था भी कर दी गई है और उम्मीद है कि आप सब को यह व्यवस्था अच्छी लगेगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-30 नवंबर, 2021 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 14 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिये जाएं ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 01 दिसंबर, 2021 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।